आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

फ़रवरी 2024

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

मानव तस्करी

मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध



अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया :

मैं अच्छे अख़्लाक़ को

मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।

(इमाम मालिक : 705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate

Concolim-403703 GOA

Email: sagarffpi@gmail.com

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
ASILA OFFSET PRINTERS
1299, KALAN MAHAL,
NEW DELHI-110002

संपादक : शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 08 फ़रवरी 2024

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

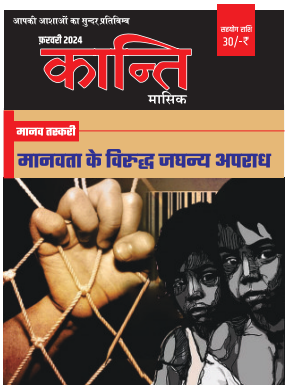

कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
वहशी मानसिकता का प्रमाण
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
मतभेद का मतलब
संपादन प्रभाग

सौंदर्य बोध 11
सार्वभौमिक सेवा का दायित्व
संपादन प्रभाग

मुख्य स्तंभ 17
मानव तस्करी : मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 21
दासता का नया रूप
सृष्टि रूंगटा

समाधान 25
तय हो : हर ज़ुल्म की जवाबदेही
संपादन प्रभाग

कविता 28
मैं माध्यम हूं, मौलिक विचार नहीं
रामधारी सिंह दिनकर

समसामयिक 29
नए क़ानूनों की कसौटी और आशंकाएं
डॉ. प्रदीप कुमार

मंथन 31
महामारी का रूप लेती एकाकीपन की समस्या
जितेंद्र गौतम

इबारत 36
इब्ने ख़ल्दुन : आधुनिक इतिहास दर्शन के पुरोधा
संपादन प्रभाग

नज़रिया 36
कुप्रथा का कलंक
गुलज़ार सहराई

सेहत 39
समय की मांग है 'स्क्रीन डिटॉक्स'
संपादन प्रभाग

करियर 41
औपचारिक डिग्री के बिना भी बेहतर करियर विकल्प
संपादन प्रभाग

कहानी 44
मुग़लों ने सल्तनत बख़्श दी
भगवती चरण वर्मा

आख़िरी पन्ना 44
पवित्र संकल्प
संपादन प्रभाग

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

वहशी मानसिकता का प्रमाण

फ़रवरी अंक के लिए हमारी संपादकीय टीम ने जब 'मानव तस्करी' को मुख्य विषय बनाने का फैसला किया तो मुझ पर भी इसे 'मूल प्रश्न' के तौर पर लेने का दबाव बढ़ा। मैं,अपनी टीम के निर्णय से पहले इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा नहीं समझता था। परंतु इस पर कलम उठाने से पहले जब मैंने मानव तस्करी से जुड़ी स्टडीज़ और रिपोर्ट्स को देखना शुरू किया तो इस अत्याधुनिक युग में इस समस्या की ऐसी भयावहता और विकरालता पर मन खिन्न हो कर रह गया।वास्तविकता ये है कि इस आधुनिक प्रोद्योगिक युग में मानव तस्करी का दायरा और औज़ार (टूल्स) भी अधिक विस्तृत,नवीनतम (updated) और परिष्कृत (Sophisticated)हो गया है।अब मानव तस्करों का वैश्विक टोला अधिक संगठित,सुसज्जित(well Equipped)और सुरक्षित है। मानव तस्करी(human trafficking)प्राचीन युग की गुलामी प्रथा का ही आधुनिक नाम है।शक्तिशाली लोगों द्वारा कमज़ोरों को ग़ुलाम बना कर रखने की यूरोप वालों की पुरानी वहशी मानसिकता अब नये रूप में दुनिया के सामने है।अंतर बस इतना है कि प्राचीन युग में गुलामी प्रथा वैध थी,आज की आधुनिक लोकतांत्रिक दुनिया में ये 'अवैध नेटवर्क' के तौर पर अधिक बड़े दायरे में धड़ल्ले से चल रही है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, स्थानांतरण या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं। हर साल, दुनिया भर में लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मानव तस्कर अपना शिकार बना रहे है।जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश भी शामिल है।प्राचीन दास प्रथा और आधुनिक मानव तस्करी में एक अंतर ये भी है कि प्राचीन दास प्रथा में विशेष जाति और समुदाय के लोग पीड़ित पक्ष थे,जबकि आधुनिक मानव तस्करी के शिकार किसी भी समुदाय में हो सकते हैं।किसी भी उम्र, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता के लोग हो सकते हैं।प्राचीन दास प्रथा में गुलामी या तस्करी की स्थिति में फंसाने के लिए तस्कर हिंसा और चालाकी के तरीक़ों का उपयोग करते थे जबकि आज का शिकारी नया जाल लेकर आया है, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के झूठे वादे और रोमांटिक रिश्ते जैसे आधुनिक तरीक़े का उपयोग बढ़ने लगा है।



ऐसी कई चीजें हैं जो आज-कल किसी व्यक्ति की तस्करी का कारण बन जाती हैं।ये ज़रूरी नहीं कि किसी ने उनका अपहरण कर लिया हो या उनके साथ ज़बरदस्ती की हो; हो सकता है कि वे सामाजिक दुर्व्यवहार या गरीबी से बचने की कोशिश कर रहे हों; या हो सकता है कि वे बस अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने परिवारों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हों। ब्याज आधारित आकर्षक कर्ज का मकड़-जाल लोगों को फंसाने के तरीके के रूप में किया जाता है। ऋण बंधन कई कमजोर लोगों के लिए एक गंभीर मुद्दा है जो गरीबी या उत्पीड़न से बचने के लिए अकल्पनीय जोखिम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। उन्हें अनिश्चित नौकरी की पेशकश स्वीकार करने और खतरनाक प्रवास लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है,अक्सर वे अपने तस्करों से पहले से पैसा उधार लेते हैं। जब वे अपने गंतव्य देश में पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि काम मौजूद नहीं है, या स्थितियां उनसे पूरी तरह से अलग हैं जिनका उनसे वादा किया गया था,वे फंस जाते हैं, अपने तस्करों पर निर्भर हो जाते हैं और बेहद असुरक्षित हो जाते हैं। उनके दस्तावेज़ अक्सर छीन लिए जाते हैं और जब तक उनका कर्ज़ नहीं चुका दिया जाता तब तक उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मानव तस्करी भारत में भी एक बड़ी समस्या है बल्कि रिपोर्ट्स और स्टडीज़ ये बताती हैं कि मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है और इसे मानव तस्करी का Source (स्रोत), Transit (पारगमन) और Destination (गंतव्य) माना जाता है। किसी एक राज्य की सीमा के भीतर तथा अंतरराज्यीय मानव तस्करी के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी भी काफी लंबी खुली सीमा होने के कारण भारत में होती है। पश्चिम बंगाल मानव तस्करी का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारत से पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में भी मानव तस्करी होती है। दुनियाभर में मानव तस्करी के पीड़ितों में एक-तिहाई बच्चे होते हैं।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, देश में हर दिन औसतन छह मामले दर्ज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तस्करी जबरन मजदूरी और यौन शोषण/वेश्यावृत्ति के लिए की जा रही। आंकड़ों के मुताबिक, तीन सालों (2020, 2021 और 2022) में इस कुकृत्य में 24 फीसदी का इज़ाफा हुआ है। 2020 में जहां 1,714 मामले दर्ज हुए थे, तो 2022 में ये बढ़कर 2,250 हो गए। चिंता वाली बात यह है कि16 फीसदी मामलों में पुलिस आरोपपत्र ही दाखिल नहीं कर पाती। करीब 80 फीसदी मामलों में आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं। एक अध्ध्यन के मुताबिक़ भारत दुनिया में टीयर-2 श्रेणी में आता है। टीयर-2 श्रेणी उन देशों के लिए है, जहां सरकारें मानव तस्करी को रोकने के लिए न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाती हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2022 के दौरान देश में 6,500 से अधिक मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें से 60% महिलाएं और लड़कियां थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि Acute Underreprting के कारण वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। मानव तस्करी अचानक नहीं होती. यह हमारे समाज और हमारी आर्थिक प्रणाली में बदतरीन गैर-बराबरी का अंतिम और दुखद परिणाम है जो लोगों को तस्करों के प्रलोभन के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसलिए तस्करों पर मुकदमा चलाना और बचे लोगों के लिए न्याय की मांग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन तस्करी को समाप्त करने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। समस्या को उसकी विकरालता के लिहाज़ से बड़े पैमाने एड्रेस करना होगा।ये केवल लॉ एंड आर्डर का सवाल नहीं है।हमें कमज़ोर लोगों के लिए समर्थन और सेवाएं बढ़ाने और गृहहीनता(Homelessness)पारिवारिक हिंसा, गरीबी और भेदभाव जैसी स्थितियों को बदलने के लिए एक समाज के रूप में मिलकर काम करने की ज़रूरत है।

समस्या को उसकी विकरालता के लिहाज़ से बड़े पैमाने एड्रेस करना होगा।ये केवल लॉ एंड आर्डर का सवाल नहीं है।हमें कमज़ोर लोगों के लिए समर्थन और सेवाएं बढ़ाने और गृहहीनता(Homelessness)पारिवारिक हिंसा, गरीबी और भेदभाव जैसी स्थितियों को बदलने के लिए एक समाज के रूप में मिलकर काम करने की ज़रूरत है।



“अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियां भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।” **(हदीस : बुख़ारी)**

with best compliment from

Aaniya Khan [Goa]



मतभेद का मतलब

चिंतन



संपादन प्रभाग

सभ्यताओं में विविधता, सोच और विचारों में भिन्नता, विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग समय में एक से अधिक सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व एक स्वाभाविक और ऐतिहासिक तथ्य है। साथ ही उनके बीच संबंध, संवाद और समन्यवय, सहयोग और प्रतिस्पर्धा भी स्वाभाविक बात है। कुछ स्थितियों में यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप भी ले सकती है और इतिहास में ऐसा होता भी रहा है, लेकिन सभ्यताओं के मात्र मतभेदों की अवधारणा को अनिवार्य रूप से टकराव की ओर ले जाना और इसे एक अपरिहार्य ऐतिहासिक तथ्य बना देना औपनिवेशिक मानसिकता की त्रासदी है। हर सांस्कृतिक अंतर को संघर्ष बनाना और उस अंतर के परिणामस्वरूप संघर्ष को मानवता की नियति बनाना सभ्यता की अवधारणा को ही नकार देने के समान है।

यह समझना आवश्यक है कि सत्य और असत्य के बीच संघर्ष इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है और सत्य का प्रभुत्व प्रकृति की मांग है और मानवता की आवश्यकता है, लेकिन यह अवधारणा सही नहीं है कि सत्य का प्रभुत्व केवल युद्ध और ख़ूनी संघर्ष के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। सत्य मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप है और सत्य को स्वीकार करने का वास्तविक स्थान मनुष्य का हृदय, उसका इरादा और विश्वास है, और विश्वास ज़बरदस्ती से प्राप्त नहीं किया जाता है, यह हृदय की गहराइयों से स्वीकार करने का दूसरा नाम है। वह तर्क की शक्ति, प्रकृति के साथ सामंजस्य और मानव जीवन को न्याय, संतुलन और सद्भाव के साथ समृद्ध करने की क्षमता के आधार पर अपनी सच्चाई का दावा करता है। यह वही है जो क़ुरआन के इस सिद्धांत में वर्णित है-

"दीन (धर्म) के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं। सही बात, ग़लत विचारों से अलग छांट कर रख दी गई है।'' (क़ुरआन, 2:256)

निःसंदेह, जब सत्य को मनुष्य तक पहुंचने से रोका जाता है और सत्य तथा मानवता के बीच उत्पीड़न तथा आक्रामकता की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, तब इन बाधाओं को दूर करने

निस्संदेह, युद्ध राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए और इतिहास का हिस्सा बन गये। केवल सभ्यताओं की विविधता, मूल्यों में अंतर और सिद्धांतों और सामाजिक प्रणालियों में अंतर का मतलब यह नहीं है कि सभ्यताएं एक-दूसरे से टकराएं।

के लिए बल का प्रयोग अपरिहार्य हो जाता है। अगर आप दुनिया के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि मिस्र, सीरिया, चीन, भारत या अफ़्रीक़ी देश, सांस्कृतिक विविधता और मतभेद हर जगह एक वास्तविकता रही है।

इस्लाम और पश्चिम दो अलग सभ्यताएं हैं। केवल इस्लाम और पश्चिम ही नहीं, अन्य सभ्यताएं भी हैं, लेकिन उनके बीच मतभेद का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच संघर्ष आवश्यक हो। उन सभ्यताओं में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सह-अस्तित्व भी हो सकता है। असहमति का अनिवार्य परिणाम टकराव

सांस्कृतिक विविधता और मतभेद हर जगह एक वास्तविकता रही है। इस्लाम और पश्चिम दो अलग सभ्यताएं हैं। केवल इस्लाम और पश्चिम ही नहीं, अन्य सभ्यताएं भी हैं, लेकिन उनके बीच मतभेद का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच संघर्ष आवश्यक हो। उन सभ्यताओं में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सह-अस्तित्व भी हो सकता है। असहमति का अनिवार्य परिणाम टकराव



नहीं है। मानव इतिहास में सभ्यताओं के विकास का मार्ग सभ्यताओं के बीच समझौते, संवाद, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मार्ग है। केवल अपनी अवधारणाओं, मूल्यों और तरीक़ों को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपना और उसे सांस्कृतिक टकराव कहना विनाश का रास्ता है। निस्संदेह, युद्ध राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए और इतिहास का हिस्सा बन गये। केवल सभ्यताओं की विविधता, मूल्यों में

नहीं है। मानव इतिहास में सभ्यताओं के विकास का मार्ग सभ्यताओं के बीच समझौते, संवाद, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मार्ग है। केवल अपनी अवधारणाओं, मूल्यों और तरीकों को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपना और उसे सांस्कृतिक टकराव कहना विनाश का रास्ता है।

अंतर और सिद्धांतों और सामाजिक प्रणालियों में अंतर का मतलब यह नहीं है कि सभ्यताएं एक-दूसरे से टकराएं।

यह एक उपनिवेशवादी अवधारणा है। यानी किसी संस्कृति, उसकी अवधारणाओं, उसके मूल्यों, उसके सिद्धांतों, उसकी संस्थाओं और उसकी प्रणालियों को बलपूर्वक दूसरों पर थोपना, यह साम्राज्यवाद है, सभ्यताओं का टकराव नहीं और अगर ऐसा टकराव होता है तो वह साम्राज्यवाद के कारण ही होता है।

इस्लाम की उपलब्धि यह है कि इसने मनुष्य को असहमत होने का अधिकार दिया है। हर किसी को यह अधिकार है कि वह तर्क के आधार पर बात करे। चर्चा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवाह्न इसी चीज़ का नाम है, लेकिन किसी को भी अपने विश्वासों और विचारों को बलपूर्वक दूसरों पर थोपने का अधिकार नहीं है। सभ्यताओं के लिए अगर कोई रास्ता है तो वह संवाद, प्रतिस्पर्धा और सहयोग है।

टकराव, एक-दूसरे को ख़त्म करने का रास्ता, सभ्यता का नहीं, बल्कि

क्रूरता और उपनिवेशवाद का रास्ता है। जिसे आज सभ्यताओं का संघर्ष कहा जा रहा है उसका मुख्य कारण यही औपनिवेशिक मानसिकता है। इसके मूल में यह विश्वास है कि हम दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं और यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी ताक़त के दम पर पूरी दुनिया में अपनी सभ्यता, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्थाएं स्थापित करें। यही समस्या की जड़ है।

सांस्कृतिक प्रभुत्व के लिए जिस रणनीति पर इस समय अमल हो रहा है, उस रणनीति को चुनौती देने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। इतिहास गवाह है कि सांस्कृतिक विविधता का परिणाम सभ्यताओं का टकराव नहीं है, यह न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। लेकिन जब कोई आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वर्चस्व रखने वाली सभ्यतागत ताक़त पूरी दुनिया पर अपनी व्यवस्था ज़बरदस्ती थोपना चाहती है, दूसरों को अपने रंग में रंगना चाहती है और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति और उनके समाज को अपनी ज़ंजीरों में बांधना चाहती है, तो संघर्ष पैदा होता है।

सभ्यताओं के बीच संवाद, सहयोग, यहां तक कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, सही है, लेकिन सभ्यताओं के बीच संघर्ष, युद्ध और रक्तपात, और एक-दूसरे को वश में करने और अधीन करने के लिए बल का प्रयोग मानवता के सम्मान और विकास का मार्ग नहीं है। यह विनाश का संदेश है, लेकिन अगर कोई महाशक्ति अहंकार में अंधी हो गई है और बलपूर्वक दुनिया पर क़ब्ज़ा करने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, तो उसके सामने आत्म-समर्पण करने और आत्मरक्षा का प्रयास छोड़ने से बड़ा कोई अपराध नहीं है।

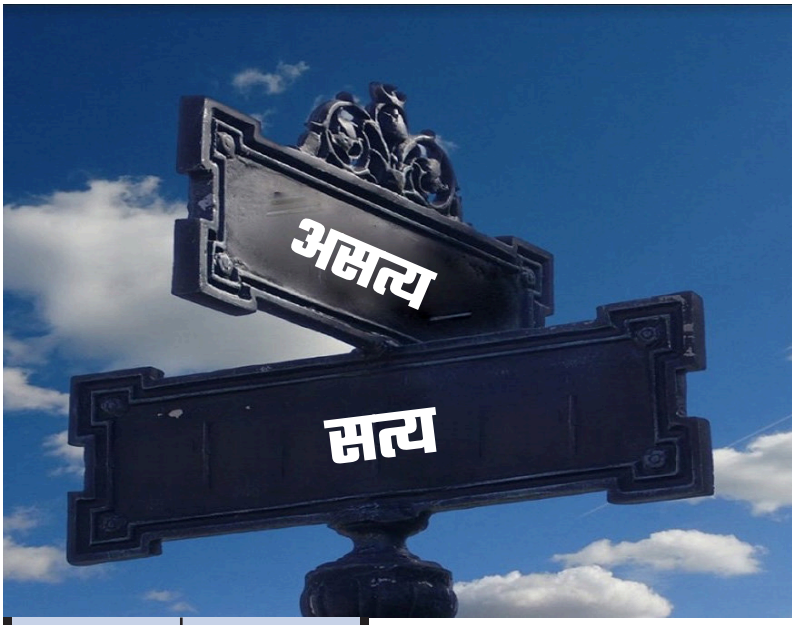

“सभ्यताओं के बीच संवाद, सहयोग, यहां तक कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, सही है, लेकिन सभ्यताओं के बीच संघर्ष, युद्ध और रक्तपात, और एक-दूसरे को वश में करने और अधीन करने के लिए बल का प्रयोग मानवता के सम्मान और विकास का मार्ग नहीं है।”

इस स्थिति से दुनिया भर के अच्छे लोग दुखी हैं और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुनिया के कोने-कोने में लाखों लोग युद्ध का विरोध कर रहे हैं। विश्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां युद्ध के प्रति घृणा न पाई जाती हो। दुनिया के न्यायप्रिय लोग आज भी नैतिक मूल्यों, क़ानून का शासन, न्याय, सम्मान और मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।

निस्संदेह, इस लड़ाई में उनका सामना ऐसे लोगों से है, जो दुनिया की शांति को, बल्कि पूरी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का सहयोगी बनना चाहिए और मिलकर इस समस्या का मुक़ाबला करना चाहिए। आज हमें क़ुरआन के निम्न संदेश को आम करने की ज़रूरत है-

“अगर तुम (सत्य के अनुयायियों की सहायता) नहीं करोगे, तो ज़मीन में एक फ़ितना और बड़ा फ़साद आएगा, अर्थात् असत्य के प्रभुत्व से सत्य के अनुयायियों पर धरती संकुचित हो जाएगी।” (क़ुरआन, 8:73)

■■



"जब इन्सान मर जाता है
तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता
है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे
अलग हैं—जारी रहने वाला सदक़ा या
ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक
सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।"
(हदीस: मुस्लिम)

A Well Wisher

K. Abu Bakar (Goa)

सार्वभौमिक सेवा का दायित्व

सौंदर्य बोध



संपादन प्रभाग

अगर मनुष्य की सहज इच्छाओं का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से उसमें कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो निम्नतम स्तर के जीवों में भी मौजूद नहीं हो। जैसे मनुष्य अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है, वैसे ही घोड़ा भी अच्छी हरी घास खाना चाहता है। जिस तरह एक आदमी दूसरे आदमियों पर प्रभुत्व पाकर ख़ुश होता है, उसी तरह एक मेढ़े के ख़ुश होने का इससे बड़ा अवसर कोई नहीं होता है कि कोई मेढ़ा उसकी टक्कर का सामना न कर सके। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षात्मक उपाय करता है, उसी तरह यह गुण एक छोटे से छोटे कीट में भी पाया जाता है।

इसलिए, अमूर्त इच्छाओं के संदर्भ में मनुष्य और पशु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। जो चीज़ इसे तुच्छ जीवों से अलग करती है, वह यह है कि पशु जीवन का अंतिम उद्देश्य इन इच्छाओं को पूरा करना है, मगर मानव जीवन का उद्देश्य इन इच्छाओं की पूर्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह एक उच्चतम लक्ष्य के लिए, एक माध्यम के रूप में उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। अगर मनुष्य के पास वास्तव में अपने पाशविक लक्ष्यों से ऊंचा कोई मानवीय लक्ष्य न हो और वह अपनी बुद्धि और उस विवेक को जो ईश्वर ने उसे दिया है, केवल ऐसे साधनों और तरीक़ों को खोजने में ख़र्च करे जिनसे वह अपनी पाशविक इच्छाओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके, तो वह निश्चित रूप से एक



उच्च कोटि का पशु तो बन सकता है, लेकिन एक उच्च कोटि का मनुष्य नहीं बन सकता।

मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए रोज़ी-रोटी कमाने को विवश है, नहीं तो वह भूखा मर जाएगा। शारीरिक विकारों से सुरक्षित रहने के लिए उसे घर बनाने, कपड़े पहनने और सुरक्षा के अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए विवश होना पड़ता है, अन्यथा वह जीवित न रह पाएगा। और इसी तरह वह दुश्मनों से ख़ुद को बचाने के लिए भी मजबूर हो जाता है, लेकिन इन ज़रूरतों को पूरा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। तो सच्चा मनुष्य वह है जो अपने निजी अधिकारों की पूर्ति केवल इसलिए करता है, कि वह अपने परिवार, अपने शहर, अपने समुदाय, अपने देश और अपने जैसे दूसरे मनुष्यों के अधिकारों को पूरा करने में सक्षम हो सके। उन दायित्वों को बेहतर तरीक़े से पूरा कर सके जो सर्वजगत के रचयिता और पालनहार द्वारा उसे सौंपा गया है।

मानवता का वास्तविक मानक इन अधिकारों और दायित्वों को अच्छी तरह समझना और इन्हें पूरा करना है। मनुष्य को अपने निजी अधिकारों की पूर्ति का दायित्व इसलिए सौंपा गया है, कि उसके ज़िम्मे केवल उसके अपने अधिकार नहीं हैं, बल्कि वह दूसरों के अधिकारों के लिए भी ज़िम्मेदार है। अगर वह अपने अधिकार की पूर्ति नहीं करता है तो वह दूसरों के अधिकारों की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा।

जब व्यक्तियों के लिए मानवता का यह मानक सही है, तो कोई कारण नहीं है कि वही मानक समुदायों के लिए

अगर कोई व्यक्ति अपने घर की आग बुझाने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने जीवन और संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने में तो बहुत सक्रिय हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के घर को जलता देखकर दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन और दूसरे व्यक्ति के धन और सम्मान और प्रतिष्ठा को नष्ट होते हुए देख कर टस से मस न हो, तो उसे एक अच्छा आदमी तो दूर "आदमी" कहने में भी संकोच होगा। इसी तरह एक ऐसे समुदाय को हम सभ्य कैसे कह सकते हैं जो ख़ुद को बचाने, ख़ुद से बुराई को दूर करने और अपने घर को बचाने के लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, मगर जब अन्य समुदायों पर बुराई का प्रभुत्व हो, अनिष्ट शक्तियों के विद्रोह से अन्य राष्ट्रों का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो रहा हो, तो वह उनके उद्धार, उनकी स्वतंत्रता और उनके कल्याण के लिए प्रयास करने से इंकार कर दे।

देखकर टस से मस न हो, तो उसे एक अच्छा आदमी तो दूर "आदमी" कहने में भी संकोच होगा। इसी तरह एक ऐसे समुदाय को हम सभ्य कैसे कह सकते हैं जो ख़ुद को बचाने, ख़ुद से बुराई को दूर करने और अपने घर को बचाने के लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, मगर जब अन्य समुदायों पर बुराई का प्रभुत्व हो, अनिष्ट शक्तियों के विद्रोह से अन्य राष्ट्रों का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो रहा हो, तो वह उनके उद्धार, उनकी स्वतंत्रता और उनके कल्याण के लिए प्रयास करने से इंकार कर दे।



जिस प्रकार व्यक्तियों पर केवल निजी ही नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरे इन्सानों के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिन्हें पूरा करना उनका दायित्व होता है, उसी तरह, एक समुदाय के ऊपर भी व्यापक मानव समुदाय के कुछ अधिकार होते हैं और वह कभी भी एक सभ्य समुदाय कहलाने के योग्य नहीं हो सकता जब तक कि वह उन अधिकारों को पूरा करने में अपने तन, मन और धन से प्रयास न करे। अपनी स्वतंत्रता की सही न हो। संगठन बन जाने से मनुष्यता में कोई कमी या वृद्धि नहीं हो जाती। इसलिए, मानव जाति की सामूहिक प्रतिष्ठा का मानक भी वही होना चाहिए जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का है। अगर किसी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल आत्म-साधना और स्वयं-सेवा के सिवा कुछ न हो, तो वह हमारी दृष्टि में एक विवेकशील पशु से अधिक मूल्य नहीं पा सकता, तो निश्चय ही एक ऐसा मानव समाज भी सभ्य पशुओं से अधिक मूल्य का पात्र नहीं, जिसके प्रयासों का दायरा केवल अपने कल्याण, विकास और अपनी शांति और समृद्धि तक ही सीमित हो और सामान्य मानव कल्याण से उसे कोई मतलब न हो।

अगर कोई व्यक्ति अपने घर की आग बुझाने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने जीवन और संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने में तो बहुत सक्रिय हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के घर को जलता देखकर दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन और दूसरे व्यक्ति के धन और सम्मान और प्रतिष्ठा को नष्ट होते हुए

रक्षा करना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना और बुराई के प्रभुत्व से अपनी रक्षा करना निश्चित रूप से एक राष्ट्र का पहला दायित्व है, लेकिन केवल यही एकमात्र दायित्व नहीं है जिसे पूरा करके उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक दायित्व यह है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग समस्त मानव जाति को बचाने के लिए करे, मानवता के मार्ग से उन सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे, जो उसके नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालते हैं।

यह बहुत दुखद है कि दुनिया के संकीर्ण सोच वाले ज्ञानियों ने सामूहिक प्रतिष्ठा के इस उच्च स्तर और सामूहिक जीवन के इस उच्च आदर्श को समझने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने कोशिश की भी, तो उसकी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकी। ये लोग जब व्यक्तियों के नैतिक दायित्वों की चर्चा करते हैं, तो मानवता की वृहद अवधारणा के लिए उनकी सोच सिकुड़ जाती है और सामूहिक दायित्वों को राष्ट्रीयता के सीमित दायरे में समेट कर वे उस राष्ट्रवाद या देशभक्ति की नींव रखते हैं, जो थोड़े से बदलाव के बाद आसानी से साम्प्रदायिक भेदभाव का रूप ले लेता है। यह संकीर्णता ही वास्तव में मानवता के इस अप्राकृतिक विभाजन की ज़िम्मेदार है, जिसके कारण एक जाति या एक भाषा या एक राष्ट्रीयता के लोग अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों को सार्वभौमिक मानवता से बाहर मानते हैं, और उनके अधिकारों को समझना और पूरा करना तो दूर, उनका हनन करने और उन्हें कुचलने को भी नैतिकता और शालीनता के ख़िलाफ़ नहीं मानते।

जिस प्रकार किसी राष्ट्र का



कल्याण और उसकी मुक्ति भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने की व्यावहारिक भावना पर निर्भर करता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जगत का उद्धार और कल्याण भी उसी पर निर्भर करता है। इस संबंध में क़ुरआन कहता है–

"और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके। यही सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं।" (क़ुरआन, 3:104)

सच्चाई केवल यह नहीं है कि वह अपने आप में एक अच्छी चीज़ है और करुणा मानव जाति की एक शुद्ध भावना है, बल्कि वास्तव में यह सभ्य व्यवस्था को बिगाड़ से बचाने के लिए एक उत्कृष्ट और अनिवार्य रणनीति है। यह एक सार्वभौमिक सेवा है जिसे ईश्वर ने दुनिया में शांति स्थापित करने और दुनिया के लोगों को पशुता से ऊपर उठाकर पूर्ण मानवता के स्तर तक लाने और दुनिया को सभ्य और सुशील लोगों के रहने योग्य बनाने के लिए हमें सौंपा है। ■■

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें !

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।



मानव तस्करी

मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

आज हम संचार क्रांति के उस दौर में हैं, जहां सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बातें होने लगी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिन पर चर्चा कम ही होती है। इन्हीं में से एक है-'मानव तस्करी' (human trafficking) यह हमारे देश के लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए एक अभिशाप है। दुनिया भर में हर साल हज़ारों लोग मानव तस्करों की साज़िशों का शिकार होते हैं। मानव तस्करों के चंगुल में फंसने वाले अधिकांश लोग अफ़्रीक़ी या एशियाई देशों से होते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ऐसे लोग जो ग़रीबी के दुष्चक्र में घिरे होते हैं, मानव तस्करों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इसके बाद उन्हें बंधुआ मज़दूरी या यौन शोषण के दलदल में धकेल दिया जाता है। हाल में ही मानव तस्करी की आशंका की वजह से फ्रांस में रोके गए एक विमान के बाद से मानव तस्करी जैसा गंभीर विषय चर्चा में आ गया।

इस समूचे घटनाक्रम की जितनी परतें सामने आई हैं, वे सोचने पर मजबूर करती हैं कि अमूमन सामान्य दिखती दुनिया में बहुत सारे लोग किस तरह की जटिलताओं से गुज़रते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से अमेरिका के निकारागुआ जा रहे विमान में अगर मानव तस्करी की आशंका नहीं पैदा होती तो शायद इससे जुड़े पहलू या तो दबे रह जाते या फिर वैध-अवैध की आम घटनाओं में शुमार होते।

ग़ौरतलब है कि बीते दिनों निकारागुआ जाने वाली रोमानियाई कंपनी के एक विमान ने तीन सौ तीन यात्रियों को लेकर दुबई से उड़ान भरी थी। फ्रांस की ओर से जारी बयान के मुताबिक़ विमान के बारे में यह ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी कि उसमें सवार लोग मानव तस्करी के शिकार हुए हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह एक संवेदनशील सूचना थी। नतीजतन, इसे बीच में ही फ्रांस के पास वैट्री हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। उसमें दो लोगों को संदिग्ध मान कर उनसे पूछताछ की गई और चार दिन तक वहां रखे जाने के बाद आख़िर उनमें से 276 यात्रियों को भारत भेज दिया गया। दो नाबालिग़ों सहित पच्चीस ने फ्रांस में ही शरण मांगी।

इस पूरे घटनाक्रम में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी विमान के ज़रिये एक से दूसरे देश की यात्रा करना आसान नहीं होता और इसके लिए किसी यात्री को पहचान से लेकर कारण और अवधि तक के कई स्तर पर सूक्ष्म जांच प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है।

जानकारों का मानना है कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इसका पूरा नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। पूरे विश्व में नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीक़े से कार्य लेना, यहां-वहां ले जाना या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज़्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है, और बाक़ी बंधुआ मज़दूरी के लिए।

तस्करी, ड्रग्स का व्यापार और मानव तस्करी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क़ानून बनाए गए हैं, जिसमें मानव तस्करी में संलग्न अपराधियों के विरुद्ध किसी भी देश में कार्रवाई हो सकती है।



इस समूचे घटनाक्रम की जितनी परतें सामने आई हैं, वे सोचने पर मजबूर करती हैं कि अमूमन सामान्य दिखती दुनिया में बहुत सारे लोग किस तरह की जटिलताओं से गुज़रते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से अमेरिका के निकारागुआ जा रहे विमान में अगर मानव तस्करी की आशंका नहीं पैदा होती तो शायद इससे जुड़े पहलू या तो दबे रह जाते या फिर वैध-अवैध की आम घटनाओं में शुमार होते।

ऐसा नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में लोगों को ले जाना ही मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। एक ही देश में भी लोगों की तस्करी की जाती है। अस्ल में बंधुआ मज़दूरी मानव तस्करी की परिभाषा में आता है। दुनिया में कई बड़े माफ़िया रैकेट हैं जो लोगों को अच्छा जीवन देने का झांसा देकर एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं और फिर वहां उन्हें एक प्रकार से बंधक बना कर काम कराया जाता है। सबसे ज़्यादा मानव तस्करी लड़कियों को देह व्यापार में ढकेलने, बच्चों के अंगों को बेचने आदि के लिए की जाती है।



एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन बालिग़ और बच्चे श्रम एवं यौन तस्करी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ 77 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों की देश की सीमाओं के भीतर ही तस्करी की जाती है। पश्चिमी और मध्य यूरोप, मध्य-पूर्व और कुछ पूर्व एशियाई देशों को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में विदेशी तस्करों की तुलना में घरेलू तस्करी के मामले ज़्यादा हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े बताते हैं कि देश की सीमाओं से बाहर यौन तस्करी के मामले ज़्यादा होते हैं, जबकि श्रम तस्करी के मामले देश की सीमाओं के भीतर ज़्यादा है।

हर साल संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 30 जुलाई को दुनिया भर में विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मक़सद मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करना, मानव तस्करी का शिकार हुए लोगों की मदद करना और मानव तस्करी पर रोक लगाना है। इसके बावजूद दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं और इनमें हज़ारों बच्चे लौटकर कभी अपने घर नहीं आ पाते, क्योंकि वे या तो मर चुके होते हैं या फिर मानव तस्करों के चंगुल में फंस चुके होते हैं।

यूनाइटेड नेशंस ऑफ़िस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट-2020 के अनुसार मानव तस्करी के शिकार 50 प्रतिशत बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है और उनको वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है, जबकि 38 प्रतिशत बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। 6 प्रतिशत बच्चों को आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है तथा 1.5 प्रतिशत बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। वहीं एक प्रतिशत लड़कियों की पैसा लेकर जबरन शादी करा दी जाती है। इसके अलावा बचे हुए बच्चों के अंग निकाल कर बेचे जाते हैं।

मानव तस्करी का यह हैवानी चेहरा मानवता के ख़िलाफ़ जघन्य अपराध है। अपराधों को देखते हुए मानव तस्करों के ख़िलाफ़ जितनी कठोर क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उतनी होती नहीं है। क़ानून की लचरता का फ़ायदा तस्करों को मिलता है और वे ग़रीबी, अभावग्रस्त जीवन जीने वालों को बेहतर भविष्य का लालच देकर अपने जाल में फंसा कर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं।

सरकार के प्रयासों के बावजूद थोक में लोगों का अवैध रूप से विदेश जाना जारी है। बाकी देश भी अगर फ्रांस जैसी सजगता दिखाएं, तो दुनिया में अवैध आव्रजन को रोकने में सहूलियत हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ाई बहुत ज़रूरी है। पुलिस और प्रशासन को इस मोर्चे पर चाक-चौबंद रहना होगा। समाज को भी सजग रहना चाहिए। आख़िर लोग अवैध रूप से विदेश जाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? हम कहां-कहां उदासीनता और लापरवाही बरत रहे हैं? मानव तस्करी से जुड़ी समूची घटनाओं के कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर मानवीय दृष्टि से विचार करना ज़रूरी।

ग़रीबी, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लिंग वरीयता, आर्थिक असंतुलन और भ्रष्टाचार मानव तस्करी के प्रमुख कारण हैं। ख़ासतौर पर वे छोटी लड़कियां और युवा महिलाएं जो ज़्यादातर ग़रीब तथा ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं, उन्हें उनके घरों से लाकर दूरदराज़ के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मज़दूरी के लिए बेचा जाता है। एजेंट इनके माता-पिता को पढ़ाई, बेहतर ज़िंदगी और पैसों का लालच देकर लाते हैं। पैसों की तंगी झेल रहे लोग, पैसों के बदले में अक्सर अपने बच्चों को बेच देते हैं।

मानव तस्करी कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के विरुद्ध किया जाने वाला अपराध है। इसमें मानव जीवन का व्यापार होता है। मानव तस्कर कमज़ोर वर्गों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, जिनके पास ऐसी स्थिति से निपटने के पर्याप्त साधन नहीं होते। कोई भी अपराध बिना गठजोड़ या संरक्षण मिले, इतने बड़े स्तर पर नहीं पनप सकता। तस्करी में लगे गिरोहों का अक्सर ही बड़ा नेटवर्क होता है, जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी ज़रूर होते हैं। उन रसूख़दार लोगों के कारण ही तस्करी में लगे लोगों को फलने-फूलने का अवसर मिलता है।

मानव तस्करी के संबंध में क़ानून तो बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीक़े से नहीं हो पाता। साथ ही अवैध कारोबारियों के लिए यह एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जिससे कि इसका समाधान इतना आसान नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की 2023 मानव तस्करी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तस्करी के उन्मूलन के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता है। यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत ज़रूरी मानकों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है।

सरकार के प्रयासों के बावजूद थोक में लोगों का अवैध रूप से विदेश जाना जारी है। बाक़ी देश भी अगर फ्रांस जैसी सजगता दिखाएं, तो दुनिया में अवैध आव्रजन को रोकने में सहूलियत हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ाई बहुत ज़रूरी है। पुलिस और प्रशासन को इस मोर्चे पर चाक-चौबंद रहना होगा। समाज को भी सजग रहना चाहिए। आख़िर लोग अवैध रूप से विदेश जाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? हम कहां-कहां उदासीनता और लापरवाही बरत रहे हैं? मानव तस्करी से जुड़ी समूची घटनाओं के कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर मानवीय दृष्टि से विचार करना ज़रूरी। ■■

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिदंगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं. : 9808080806

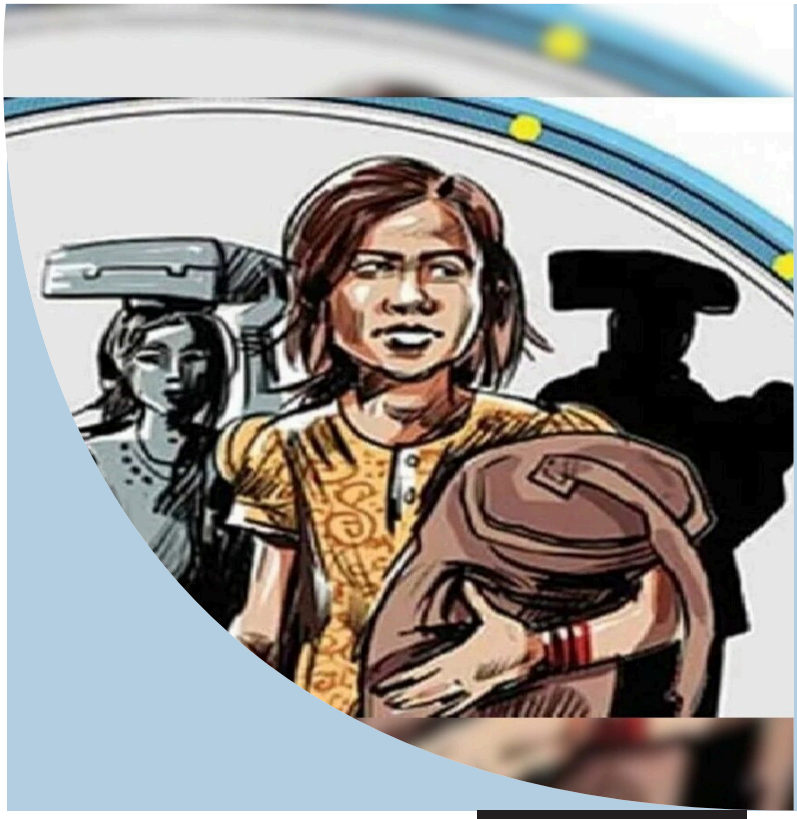

दासता का नया रूप

मानव तस्करी विशेष रूप से भारत में कोई नया मुद्दा नहीं है। आज की दुनिया में, हज़ारों पुरुषों, महिलाओं और सभी उम्र के बच्चों को मानव तस्करी के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जो मानव तस्करी के प्राथमिक स्रोत हैं। इंटरनेट के इस युग में, जहां इंटरनेट एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत जितना ही महत्वपूर्ण है, तस्करों के लिए लड़कियों या महिलाओं को लुभाना काफ़ी आसान है। युवाओं के बीच सोशल मीडिया के उपयोग में वृद्धि के साथ, तस्कर आसानी से उनसे संपर्क कर सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं और आसानी से उनकी योजनाओं तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट पर किए गए मानव तस्करी के अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। ये अपराध साइबरस्पेस से संबंधित हैं और अपने कमीशन के साधन के रूप में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। मानव तस्करी एक गंभीर मुद्दा है जो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है।

आधुनिक समय में यह जघन्य अपराध अपनी जड़ें जमा रहा है। यह एक आम धारणा है कि मानव तस्करी में केवल महिलाएं और लड़कियां ही शामिल होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। पुरुष को जबरन श्रम या उनके अंगों के लिए एक देश से दूसरे देशों में ले जाया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में तस्करी किए गए 5 लोगों में से 3, 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे। यह भी अनुमान है कि 2016 में लगभग 20,000 महिलाएं और बच्चे मानव तस्करी का शिकार हुए थे।

ज़्यादातर मामलों में, तस्करों का स्रोत मोबाइल फ़ोन बेचने वाले स्टोर

अभिमत



सृष्टि रूंगटा

> **“यह एक आम धारणा है कि मानव तस्करी में केवल महिलाएं और लड़कियां ही शामिल होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। पुरुष को जबरन श्रम या उनके अंगों के लिए एक देश से दूसरे देशों में ले जाया जाता है।”**



हैं और मुख्य रूप से गांवों में डेटा रिचार्ज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की मोबाइल स्टोर पर रिचार्ज करने गई, वह स्टोर के मालिक की डायरी में अपना नंबर नोट कर देती है और वह इस नंबर को तस्करों को दे देता है या आदमी ख़ुद डायरी से नंबर लेता है। ज़्यादातर लालच शादी के प्रस्तावों के रूप में या उच्च वेतन वाली नौकरियों का विचार देकर किया जाता है। तस्कर लड़कियों या लड़कों को मॉडलिंग का ऑफर देकर या फ़िल्मों या टीवी शो में ऑडिशन देकर भी लुभाते हैं।

आज मोबाइल फ़ोन हमारी बुनियादी ज़रूरत बन गए हैं। इस समय में मोबाइल फ़ोन होना कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर किसी के पास होता है। इसलिए यह यौन तस्करों के लिए लोगों को आकर्षित करना सुविधाजनक बनाता है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि लड़कियां समाज के एक ग़रीब वर्ग से हैं, हालांकि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफ़ोन हैं या अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो एक फ़ोन कॉल काम करता है। तस्कर बस किशोरों से मीठी-मीठी बातें करते हैं और उन्हें आसानी से फंसा लेते हैं।

इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के उपयोग में ज़बरदस्त वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट पर मानव तस्करी इतनी आसान है कि तस्कर को अपनी जगह से बाहर भी नही निकलना पड़ता है, केवल फोन ही उनका काम कर देते है। मानव तस्करी आए दिन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में वेश्यावृत्ति और यौन शोषण मानव तस्करी का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है, जबकि पहला उद्देश्य बंधुआ मज़दूरी है।

आमतौर पर इंटरनेट पर यौन तस्करी होती है, क्योंकि तस्करों को उसके माता-पिता को नौकरी के लिए फुसलाने के लिए उसके घर नहीं जाना पड़ता है, वे बस अपने फ़ोन के साथ बैठते हैं, लड़कियों को कॉल या मैसेज करते हैं और काम हो जाता है।

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) की रिपोर्ट के अनुसार, तस्करी की शिकार हुई पीड़ित की औसत आयु सहायता के समय 26 वर्ष है, और पहचाने गए लोगों में से आधे की आयु 18 से 34 वर्ष के बीच है। वर्ष

आमतौर पर युवा लड़कियों को फोन पर या मैसेज के ज़रिये लालच दिया जाता है। लड़कियों को आमतौर पर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण लालच दिया जाता है, जब उन्हें लगता है कि फोन पर मृदुभाषी व्यक्ति उन्हें एक बेहतर जीवन देगा, उसके साथ भाग जाती हैं। वहीं पुरुषों के मामलों में यह होता है कि जो पुरुष नौकरी की तलाश में हैं, वे इंटरनेट पर नौकरियों की खोज करते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है, वे फंस जाते हैं। भारत के ज़्यादातर आदिवासी और ग्रामीण इलाके मानव तस्करी में फंसे हुए हैं। हालांकि सरकारें क़दम उठा रही हैं और अपराधियों को बेनकाब कर रही हैं, लेकिन मानव तस्करी से जुड़े बहुत से सवाल अनुत्तरित हैं।

2015-2016 में पहचाने गए पीड़ितों की औसत आयु 29 वर्ष है, जिसमें पुरुष पीड़ित औसतन महिला से अधिक उम्र के हैं। कम से कम 16 प्रतिशत बच्चे थे।

यूएन ऑफिस ऑफ़ ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग-2016 का सर्वेक्षण कहता है, दो वर्षों में इस अभ्यास ने लगभग 63251 लोगों का डेटा तैयार किया, जिसमें 106 राष्ट्रीय सरकारों से तस्करी के शिकार लोगों की पहचान की गई। डेटा बड़े पैमाने पर न केवल यूनिट रिकॉर्ड की जानकारी है बल्कि उम्र और लिंग की भी जानकारी मौजूद है।



इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफ़ोन के उपयोग में ज़बरदस्त वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट पर मानव तस्करी इतनी आसान है कि तस्कर को अपनी जगह से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है, केवल फ़ोन ही उनका काम कर देते हैं। मानव तस्करी आए दिन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में वेश्यावृत्ति और यौन शोषण मानव तस्करी का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है, जबकि पहला उद्देश्य बंधुआ मज़दूरी है। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य में सिर्फ़ इसलिए बेचा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से ग़रीब होते हैं और सुचारू रूप से जीवन-यापन नहीं कर सकते हैं।

तथ्यों की जांच करने से हमें यह अंदाज़ा होता है कि आमतौर पर युवा लड़कियों को फ़ोन पर या मैसेज के ज़रिये लालच दिया जाता है। तस्करों का विचार है कि जो लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी नहीं हैं या ग़रीब हैं, वे आसानी से फंस जाएंगी, वही पुरुषों के मामले में होता है जो नौकरी की तलाश में हैं, वे इंटरनेट पर नौकरियों की खोज करते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है, वे फंस जाते हैं। भारत के ज़्यादातर आदिवासी और ग्रामीण इलाक़े मानव तस्करी में फंसे हुए हैं।

लड़कियों को आमतौर पर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण लालच दिया जाता है, जब उन्हें लगता है कि फ़ोन पर मृदुभाषी व्यक्ति उन्हें एक बेहतर जीवन देगा, उसके साथ भाग जाती है और सबसे बड़ी आपराधिक गतिविधियों में से एक में फंस जाती हैं। हालांकि सरकारें क़दम उठा रही हैं और अपराधियों को बेनक़ाब कर रही हैं, लेकिन मानव तस्करी से जुड़े बहुत से सवाल अनुत्तरित हैं। ■■

(वेबसाइट iPleaders से साभार)



तय हो हर ज़ुल्म की जवाबदेही

समाधान



संपादन प्रभाग

मानव तस्करी का अधिकांश हिस्सा श्रम तस्करी है, जहां व्यक्तियों को बलपूर्वक, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। श्रम तस्करी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लगभग हर उद्योग में मौजूद है और इसमें बाल श्रम भी शामिल है। जिन व्यक्तियों की तस्करी की जाती है, उन्हें अक्सर बहुत कम या बिना किसी वेतन के ख़तरनाक परिस्थितियों में घंटों काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बल, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती श्रम तस्करी के अनिवार्य तत्व हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बंधुआ मज़दूरी कहते हैं।

स्वतंत्रता एवं समानता के ध्वजावाहक वर्तमान भारत के लिए जिन समस्याओं को उसके माथे का कलंक घोषित किया जा सकता है, उनमें से एक समस्या बंधुआ मज़दूरी की है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की धारा में शोषण के विरुद्ध अधिकार के शीर्षक के तहत अन्य बातों के अतिरिक्त बलपूर्वक मज़दूरी कराने की मनाही है और बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन अधिनियम के तहत बंधुआ मज़दूरी को उसके सभी रूपों के साथ क़ानूनी तौर पर अवैध घोषित किए जाने के बावजूद, यह कलंक आज भी पूरे भारत में अपनी बदतरीन सूरत में मौजूद है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिससे देश का वह वर्ग जो अख़बारों पर नज़र रखता है एवं हर विवेकशील नागरिक भली-भांति परिचित है। अख़बारों में प्रायः इसके संबंध में रिपोर्टें प्रकाशित होती रहती हैं।

हमारा मानना है कि ज़िन्दगी की अन्य सभी समस्याओं की तरह बंधुआ मज़दूरी के इस कलंक के उन्मूलन के सिलसिले में भी इस्लाम के उसूल कारगर साबित हो सकते हैं और मानवता को इस कलंक से मुक्ति दिला सकते हैं।

हमारा मानना है कि ज़िन्दगी की अन्य सभी समस्याओं की तरह बंधुआ मज़दूरी के इस कलंक के उन्मूलन के सिलसिले में भी इस्लाम के उसूल कारगर साबित हो सकते हैं और मानवता को इस कलंक से मुक्ति दिला सकते हैं। सामान्य तौर पर इस्लाम के वे उसूल जिनसे मानव तस्करी एवं बंधुआ मज़दूरी के उन्मूलन में मदद मिलती है, इस प्राकर हैं-

1. ज़ुल्म की मनाही

मानव तस्करी एवं बंधुआ मज़दूरी ज़ुल्म एवं अन्याय के जिन घटिया प्रकारों का द्योतक है उसकी ओर संकेत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कारण एक अच्छा-भला इंसान जीवन भर अत्यंत असहाय स्थिति में घुटन एवं कुढ़न के साथ जीने को विवश होता है। इस्लाम बिना किसी लाग-लपेट के न्याय एवं इंसाफ़ स्थापित करने का पक्षधर है और ज़ुल्म एवं अन्याय के तमाम रूपों का निषेध करता है।



''न तुम ज़ुल्म करो, न तुम पर ज़ुल्म किया जाए।'' (क़ुरआन, 2:279)

इस्लाम की नज़र में ज़ुल्म केवल इसी का नाम नहीं है कि इंसान किसी को बिना किसी कारण के क़त्ल कर दे या किसी व्यक्ति पर डाका डाल कर उसका माल छीन ले। इस्लाम के निकट ज़ुल्म का अर्थ बहुत व्यापक है और वह किसी भी व्यक्ति को उसके जाइज़ अधिकारों से वंचित रखने और किसी भी रूप में उसके जाइज़ (वैध) हितों को नुक़सान पहुंचाने के सभी रूपों को अपने दायरे में लेता है।

2. किसी को भी क्षति पहुंचाने पर रोक

इस्लाम का दूसरा उसूल जिससे मानव तस्करी एवं बंधुआ मज़दूरी का निषेध होता है, यह है कि इस्लाम किसी को भी क्षति पहुंचाने की मनाही करता है। इस्लाम के निकट जीवन का आनन्द एवं उसका सुख किसी विशेष मानव-वर्ग का एकाधिकार नहीं है। सारे इंसान एक ख़ुदा के बंदे हैं और एक ही मां-बाप आदम व हव्वा की औलाद हैं। अतः जीवन के आनन्द से आनन्दित होना और अपनी योग्यतानुसार जीवन से अपना हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश करना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी दूसरे इंसान को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे अपने इस स्वाभाविक अधिकार से वंचित कर सके और किसी की तमन्नाओं, आशाओं के खंडहर पर अपनी इच्छाओं का शीश महल उठाए। इसी कारण इस्लाम सख़्ती से इस उसूल का पक्षधर है कि व्यक्ति अपनी जाइज़ सीमा में रहे और अपनी हद के अन्दर रहकर ही अपने लिए अधिकारों की मांग करे। कोई व्यक्ति न स्वयं क्षति एवं हानि उठाए, न किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करे।

3. किसी आज़ाद इंसान को उसकी आज़ादी से वंचित करना जाइज़ नहीं

मानव तस्करी या बंधुआ मज़दूरी के अन्तर्गत एक व्यक्ति आज़ाद होते हुए भी व्यवहारतः ग़ुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होता है। इस्लाम के निकट आज़ादी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी व्यक्ति के लिए जाइज़ नहीं है कि वह किसी आज़ाद इंसान को उसके इस अधिकार से वंचित कर दे।

4. किसी आज़ाद इंसान को ज़बरदस्ती रोकना जाइज़ नहीं

बंधुआ मज़दूरी के अन्तर्गत एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती रोक लिया जाता है और इस प्रकार उसे अपनी इच्छा एवं अधिकार के इस्तेमाल से वंचित कर दिया जाता है। जबकि इस्लाम हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी इच्छा एवं अधिकार के अनुसार काम करने को उसका मूल अधिकार समझता है और किसी व्यक्ति के लिए जाइज़ नहीं ठहराता कि उसे वह उसके इस अधिकार

मानव तस्करी एवं बन्धुआ मज़दूरी ज़ुल्म एवं अन्याय के जिन घटिया प्रकारों का द्योतक है उसकी ओर संकेत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कारण एक अच्छा-भला इंसान जीवन भर अत्यंत असहाय स्थिति में घुटन एवं कुढ़न के साथ जीने को विवश होता है। इस्लाम बिना किसी लाग-लपेट के न्याय एवं इंसाफ़ स्थापित करने का पक्षधर है और ज़ुल्म एवं अन्याय के तमाम रूपों का निषेध करता है।

"न तुम ज़ुल्म करो, न तुम पर ज़ुल्म किया जाए।" क़ुरआन, 2:279

इस्लाम के निकट ज़ुल्म का अर्थ बहुत व्यापक है और वह किसी भी व्यक्ति को उसके जाइज़ अधिकारों से वंचित रखने और किसी भी रूप में उसके जाइज़ (वैध) हितों को नुक़सान पहुंचाने के सभी रूपों को अपने दायरे में लेता है।



से वंचित कर दे।

5. किसी आज़ाद इंसान से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना जाइज़ नहीं

बंधुआ मज़दूरी के अन्तर्गत एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए विवश कर दिया जाता है। इस्लाम जिस प्रकार किसी आज़ाद इंसान को उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ रोकने को जाइज़ क़रार नहीं देता, उसी प्रकार वह किसी व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध काम लिए जाने को भी जाइज़ नहीं रखता। अरब में रिवाज था कि लोग दौलत कमाने के उद्देश्य से अपनी लौंडियों (दासियों) से ज़बरदस्ती पेशा कराते थे। इस्लाम आया और उसने इस कुकृत्य को कठोरता पूर्वक अवैध घोषित किया। क़ुरआन में आया है–

''और अपनी लौंडियों (दासियों) पर कुकर्म के लिए ज़बरदस्ती न करो, जबकि वे पाकबाज़ रहना चाहें, ताकि तुम चंद रोज़ की दुनियावी ज़िन्दगी का माल कमाओ। और जो कोई उन पर ज़बरदस्ती करे तो ईश्वर उनकी इस बेबसी के पीछे बख़्शने वाला (क्षमा करने वाला) रहम करने वाला है।''

(क़ुरआन, 24:33)

यह तो ख़ैर दुनियावी मामले की बात है, इस्लाम तो अल्लाह की हिदायत को स्वीकारने एवं इंकार करने के संबंध में भी किसी ज़बरदस्ती को जाइज़ नहीं रखता। जबकि इंकार करने वाला दुनिया की चन्द रोज़ की ज़िन्दगी तो दूर, परलोक की हमेशा की ज़िन्दगी में नाकामी के खड्डे में गिर जाता है। परन्तु इस्लाम इस विशुद्ध-लाभ के सौदे को भी ज़बरदस्ती किसी के सिर थोपना नहीं चाहता। फिर भला वह आम जीवन में इसकी अनुमति कैसे दे सकता है?

''और यदि तेरा रब चाहता तो ज़मीन में जितने लोग हैं सब-के-सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों से ज़बरदस्ती करना चाहते हो, इस बात पर कि वे ईमान लाने वाले बन जाएं।''

(क़ुरआन,10:19)

इस्लाम के उक्त उसूलों के ज़रिये मानव तस्करी एवं बंधुआ मज़दूरी का खंडन होता है। इस्लाम ने एक इन्सान को दूसरे इन्सानों के साथ व्यवहार के ऐसे निर्देश दिए हैं जो मानव-समाज में न्याय को स्थापित करने तथा कमज़ोर वर्गों को अत्याचार एवं शोषण से सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होते हैं।

■■



रामधारी सिंह दिनकर

कविता

मैं माध्यम हूं, मौलिक विचार नहीं

मैं माध्यम हूं, मौलिक विचार नहीं,
कनफ़्युशियस ने कहा।

तो मौलिक विचार कहां मिलते हैं,
खिले हुए फूल ही
नए वृन्तों पर
दुबारा खिलते हैं।

आकाश पूरी तरह
छाना जा चुका है,
जो कुछ जानने योग्य था,
पहले ही जाना जा चुका है।

जिन प्रश्नों के उत्तर पहले नहीं मिले,
उनका मिलना आज भी मुहाल है।

चिंतकों का यह हाल है
कि वे पुराने प्रश्नों को
नए ढंग से सजाते हैं
और उन्हें ही उत्तर समझकर
भीतर से फूल जाते हैं।
मगर यह उत्तर नहीं,
प्रश्नों का हाहाकार है।
जो सत्य पहले अगोचर था,
वह आज भी तर्कों के पार है।

नए क़ानूनों की कसौटी और आशंकाएं



समसामयिक



डॉ. प्रदीप कुमार

कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक क़ानूनों को हरी झंडी दिखाई है। नए क़ानूनों में भारतीय न्याय संहिता जहां भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि वह आपराधिक क़ानूनों में व्यापक सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही आपराधिक क़ानूनों के भारतीयकरण और मानवीयकरण के साथ ही उन्हें समय के अनुरूप सुसंगत भी बनाया गया है, लेकिन 'हिट एंड रन' के मामलों पर नए क़ानूनों के तहत सख़्त प्रावधानों के ख़िलाफ़ ट्रक चालकों, टैक्सी और बस संचालकों के संगठनों की हड़ताल के बाद उपजी मुश्किलों ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया।

सरकार के आश्वासन के बाद चालकों की हड़ताल तो ख़त्म हो गई, मगर इससे एक बार फिर यह साफ़ हो गया है कि व्यापक असर वाले किसी क़ानून को लागू करने से पहले उससे प्रभावित पक्षों के साथ राय-मशविरा करना एक ज़रूरी पहलू होना चाहिए। व्यापक दायरे और प्रभावित वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बिना किसी क़ानून को लागू करने और उस पर रोक की असुविधाजनक स्थिति इससे पहले कृषि क़ानूनों को वापस लेने के समय भी देखी गई थी। ट्रकों की हड़ताल से उपजे हालात के बाद सरकार ने क़ानून को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों से राय मशविरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन अगर यह काम पहले कर लिया गया होता तो शायद देश भर में अफ़रा-तफ़री पैदा नहीं होती।

केंद्र सरकार का दावा है कि वह आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधारों लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही आपराधिक क़ानूनों के भारतीयकरण और मानवीयकरण के साथ ही उन्हें समय के अनुरूप सुसंगत भी बनाया गया है, लेकिन 'हिट एंड रन' के मामलों पर नए क़ानूनों के तहत सख़्त प्रावधानों के ख़िलाफ़ ट्रक चालकों, टैक्सी और बस संचालकों के संगठनों की हड़ताल के बाद उपजी मुश्किलों ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया।

ग़ौरतलब है कि 'हिट एंड रन' यानी हादसे के बाद वाहन चालक के भाग जाने के मामलों में नए क़ानून के तहत सख़्त प्रावधानों के ख़िलाफ़ ट्रक, टैक्सी और बस संचालकों के संगठनों ने देश भर में हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद न केवल सामान्य आवाजाही पर बुरी तरह असर पड़ा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

भी बाधित होनी शुरू हो गई, दो हज़ार से ज़्यादा पेट्रोल पंप ठप पड़ गए। ज़ाहिर है, इसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ना शुरू हो गया और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं की कमी हुई और उनकी क़ीमतें चढ़नी शुरू हो गई। यह स्थिति शायद जल्दबाज़ी में लिए एक ऐसे निर्णय की वजह से पैदा हुई, जिसका असर व्यवहार कसौटियों पर सवालों के घेरे में माना जा रहा है।

भारतीय न्याय संहिता में 'हिट एंड रन' मामलों के लिए जो क़ानूनी प्रावधान



किया गया है, उसमें पहली नज़र में कोई खोट नज़र नहीं आता। नए क़ानून के मुताबिक़, कोई भी चालक अगर तेज़ और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और मौक़े से भाग जाता है तो उसके लिए उसे दस वर्ष की जेल होगी और सात लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

धारा 104(2) का प्रावधान सड़क पर हुई किसी दुर्घटना के दौरान वाहन चालक की ज़िम्मेदारी तय करने और उसका व्यवहार बदलने की एक कोशिश दिखाई देता है। आमतौर पर दुर्घटना के बाद वाहन चालक घटना स्थल से भाग निकलता है, इसीलिए ऐसे मामलों को 'हिट एंड रन' केस कहते हैं।

यह सही है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चालक की पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके और उन्हें सड़क पर बेहाल न छोड़ दिया जाए, इसे लेकर सरकार की चिंता बहुत वाजिब है, लेकिन इस संबंध में वाहन चालकों का जो तर्क है, उसे पूरी तरह ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि दुर्घटना के बाद अगर वे घटना स्थल से न भागें, तो वे भीड़ हिंसा के शिकार हो सकते हैं। दुर्घटना के बाद भागना उनका आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि आत्म-रक्षा की कोशिश है। इसलिए इसे अपराध मानकर इसके लिए सज़ा और जुर्माने का प्रावधान ठीक नहीं है।

ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जहां दुर्घटना के बाद भीड़ ने वाहन चालक को बुरी तरह पीटा। भीड़ जब इस तरह का बर्ताव करती है, तब वह नहीं देखती कि दुर्घटना में दरअस्ल ग़लती किसकी थी? सड़कों पर बेपरवाही से वाहन

सरकार के आश्वासन के बाद चालकों की हड़ताल तो ख़त्म हो गई, मगर इससे एक बार फिर यह साफ़ हो गया है कि व्यापक असर वाले किसी क़ानून को लागू करने से पहले उससे प्रभावित पक्षों के साथ राय-मशविरा करना एक ज़रूरी पहलू होना चाहिए। व्यापक दायरे और प्रभावित वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बिना किसी क़ानून को लागू करने और उस पर रोक की असुविधाजनक स्थिति इससे पहले कृषि क़ानूनों को वापस लेने के समय भी देखी गई थी। ट्रकों की हड़ताल से उपजे हालात के बाद सरकार ने क़ानून को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों से राय मशविरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन अगर यह काम पहले कर लिया गया होता तो शायद देश भर में अफ़रातफ़री पैदा नहीं होती।

चलाते अक्सर बहुत सारे चालक दिख जाते हैं, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, मगर हर दुर्घटना में वाहन चालक को ही दोषी मान लेना ठीक नहीं कहा जा सकता।

देश में व्यावसायिक वाहनों और ख़ासतौर पर ट्रक चालकों के रोज़गार, पारिश्रमिक और काम की जो स्थितियां रही हैं, उसमें उनके बीच यह ख़ौफ़ फैला कि नया क़ानून लागू होने के बाद उनके लिए सड़क पर सहज होकर चलना मुश्किल हो जाएगा। उनका मानना यह है कि कई बार हादसों में उनकी ग़लती नहीं होती है, लेकिन नया क़ानून लागू हुआ तो दुर्घटना के बाद आम लोगों की उग्र प्रतिक्रिया से लेकर क़ानूनी प्रावधान तक उनके जीवन के लिए बड़ा आघात साबित होगा। इसी आशंका की वजह से व्यावसायिक वाहन चालकों के बीच व्यापक विरोध पैदा हुआ।

हालांकि नए क़ानून में इस प्रावधान को लाने के पीछे सरकार ने अपनी यही मंशा ज़ाहिर की कि अब तक हादसों के बाद भाग जाने की प्रवृत्ति रही है और इस क्रम में कई दोषी या तो बच जाते थे या पकड़े जाने पर उन्हें मामूली सज़ा मिलती थी। सड़कों पर बेलगाम वाहन चलाने और उसकी वजह से होने वाले हादसों पर क़ाबू पाने के लिहाज़ से इसे एक सख़्त पहल कहा जा सकता है। मगर इसका एक पहलू यह भी है कि देश में सड़कों से लेकर यातायात की स्थिति और नियम-क़ायदों का पालन करने के प्रति गंभीरता की जो तस्वीर रही है, वह हादसों की ज़िम्मेदारी को जटिल बना देती है। इसलिए इससे संबंधित क़ानूनी प्रावधानों से प्रभावित लोगों के बीच सवाल उठना लाज़िमी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी ड्राइवर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? भले ही टक्कर सामने वाले की ग़लती से हुई हो?



भारत में हिट एंड रन से मौतों का आंकड़ा अत्यधिक है जिसकी वजह लापरवाही, ग़ैर-ज़िम्मेदाराना तरीक़े से सड़क नियमों का पालन नहीं करना है। सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनना तथा ओवरस्पीडिंग, नशे में गाड़ी चलाना इसकी प्रमुख वजहें हैं।

हिट एंड रन को लेकर क़ानून में सुधार ज़रूरी है, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार के साथ दुनिया भर के क़ानूनों को भी देखना होगा, साथ ही सड़क एवं यातायात से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना होगा। मतलब, इंसानी ग़लती से कोई भी दुर्घटना न हो, इसे बहुत हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है।

दुर्घटना के बाद फ़रार वाहन चालक का पता करने के लिए जगह-जगह लगे सीसीटीवी की मदद ली जानी चाहिए। रास्तों में टोल नाके भी पड़ते हैं जिनके साथ समन्वय बिठाकर आरोपी तक पहुंचा जा सकता है। बड़े हाईवे और राजमार्गों पर कुछ हज़ार और ख़र्च करके हर किलोमीटर पर सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं। यक़ीनन, तीसरी आंख यानी तकनीक से निगरानी के ज़रिये वाहन चालकों पर नकेल कसने के साथ उन्हें सुरक्षा भी दी जा सकती है। इसका ड्राइवरों सहित सभी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। जब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो सख़्त और व्यावहारिक क़ानूनों से भला कोई क्यों एतराज़ करेगा?

बहरहाल, सड़क पर चलने वाले हर इंसान की यह ज़िम्मेदारी है कि वह यातायात के सभी नियमों का पालन करे और अपनी ओर से किसी भी अपराध या लापरवाही की गुंजाइश न छोड़े। ■■

महामारी का रूप लेती एकाकीपन की समस्या



ग्लोबल स्टेट ऑफ़ सोशल कनेक्शंस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग चार में से दो बालिग़ अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस सर्वे में 140 से अधिक देशों के लोगों को शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया में 'अलगाव और एकाकीपन' को लोक-स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या मानते हुए विशेषज्ञों की टीम बनाई है, जो इसकी प्रकृति, पहचान, आयाम और निदान पर काम करेगी। पिछले वर्ष मई में अमेरिकी सर्जन-जनरल डॉ. विवेक मूर्ति ने एडवाइजरी जारी कर अमेरिकी समाज में बुज़ुर्गों ही नहीं युवाओं में भी बढ़ते एकाकीपन को महामारी घोषित करते हुए कहा था कि सामाजिक संबंधों में कमी से बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य पर असर होता है। डब्ल्यूएचओ ने इसका संज्ञान लेते हुए अब इसे वैश्विक ख़तरा माना है।

भारत में बुज़ुर्गों (60 वर्ष से अधिक) की आबादी क़रीब 15 करोड़ से ज़्यादा है। अमेरिका या अन्य संपन्न देशों में तो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और मानव-प्रेमी संस्थाएं बुज़ुर्गों को राहत देने के लिए काफ़ी काम करती हैं, लेकिन भारत में नीचे के

मंथन



जितेंद्र गौतम

बड़ी संख्या में लोग अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे दोस्तों की कमी है, जिनके साथ वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सकें। शोध से यह भी पता चला है कि अपने दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय में हर साल तेज़ी से कमी आ रही है। इस रुझान के अनुसार भविष्य में भी इस मोर्चे पर सुधार के कोई आसार नहीं दिखते।

वर्ग में ग़रीबी और मध्यम वर्ग में परिवारों के टूटने के साथ व्यापक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अकर्मण्यता इस ख़तरे को कई गुना बढ़ाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से भारत सहित दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे दोस्तों की कमी है, जिनके साथ वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सकें। सर्वे में पाया गया कि यह अकेलापन भविष्य में एक गंभीर संकट बन सकता है, क्योंकि अकेलापन स्वास्थ्य के लिए उतना ही बुरा है, जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। शोध से यह भी पता चला है कि अपने दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय में हर साल तेज़ी से कमी आ रही है। इस रुझान के अनुसार भविष्य में भी इस मोर्चे पर सुधार के कोई आसार नहीं दिखते।

मित्रता का कोई नियम नहीं होता, मित्र बिना जीवन नहीं होता। यदि हमारे पास एक भी सच्चा मित्र है तो वह हमें अन्य रिश्तों की कमी का आभास नहीं होने देता। वह आवश्यकता पड़ने पर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त तो है ही। सच्चा मित्र गुरु के समान सच्चा मार्गदर्शक भी होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, सच्ची मित्रता में

बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। सर्वे के मुताबिक़, लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनका एक भी घनिष्ठ मित्र नहीं है। वर्ष 1990 के समय यह आंकड़ा तीन प्रतिशत था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्रता एक ऐसा नायाब संबंध है, जो किसी भी व्यक्ति की ख़ुशियों को बढ़ाने और दुख को कम करने में मददगार साबित होता है। जीवन में सच्चा दोस्त अच्छी सेहत के समान होता है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही है, जो विपत्ति आने पर बिना देर किए मदद का हाथ बढ़ाता है। दुख के समय ही दोस्ती का अस्ली सार सामने आता है। सच्चा मित्र वही है, जिसे पता हो कि कब समझना है और कब समझाना है।

इस पृथ्वी पर आते ही कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं। जैसे मां, पिता, भाई और बहन आदि। दोस्ती उन कुछ रिश्तों में से एक है, जिसे हम चुनते हैं। मित्र तो कई बनते हैं, पर सच्ची मित्रता विरले को ही प्राप्त होती है। दोस्ती में हमारे संस्कारों की अहम भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण उसके द्वारा बनाए गए मित्र होते हैं। एक सच्चा दोस्त खोजने का तरीक़ा यह भी है कि हम ख़ुद किसी के सच्चे दोस्त बन जाएं।

आज लोग भीड़ में अकेले घूम रहे हैं और उनके पास चार सच्चे दोस्त भी नहीं हैं। इसका मुख्य कारण लोग स्वयं हैं। वास्तविक ज़िंदगी में जो अपनत्व और विश्वास की नींव बनती है, वह अटूट होती है, लेकिन आज इंटरनेट मीडिया एवं आभासी (वर्चुअल) दुनिया के रिश्तों में, हम सभी चौटिंग, फोटो शेयरिंग और कमेंट्स में सुकून खोज रहे हैं। अब रिश्ते

आज लोग भीड़ में अकेले घूम रहे हैं और उनके पास चार सच्चे दोस्त भी नहीं हैं, इसका मुख्य कारण लोग स्वयं हैं। वास्तविक ज़िंदगी में जो अपनत्व और विश्वास की नींव बनती है, वह अटूट होती है, लेकिन आज इंटरनेट मीडिया एवं आभासी (वर्चुअल) दुनिया के रिश्तों में, हम सभी चैटिंग, फ़ोटो शेयरिंग और कमेंट्स में सुकून खोज रहे हैं। अब रिश्ते लाइक्स और कमेंट्स पर ज़्यादा निर्भर नज़र आते हैं। मज़बूत रिश्ते और दोस्ती तब बनते हैं जब हम सुख-दुख का साथी बनते हैं, लेकिन हम तो अधिक से अधिक फालोअर्स और लाइक्स की होड़ में लगे हुए हैं। हम इतने आत्म-केंद्रित हो गए हैं कि अपने बच्चों को भी दोस्ती में कोई फ़ायदा ढूंढ़ने के संस्कार देने लगते हैं।

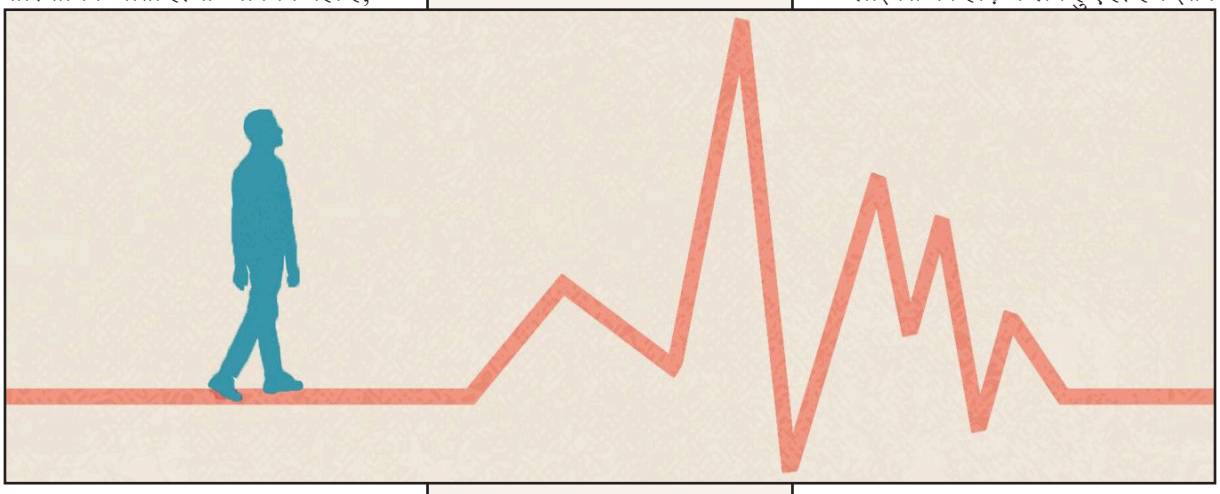

लाइक्स और कमेंट्स पर ज़्यादा निर्भर नज़र आते हैं। मज़बूत रिश्ते और दोस्ती तब बनते हैं जब हम सुख-दुख का साथी बनते हैं, लेकिन हम तो अधिक से अधिक फालोअर्स और लाइक्स की होड़ में लगे हुए हैं। हम इतने आत्मकेंद्रित हो गए हैं कि अपने बच्चों को भी दोस्ती में कोई फ़ायदा ढूंढ़ने के संस्कार देने लगते हैं।

वास्तव में मज़बूत रिश्ता निःस्वार्थ त्याग और समय मांगता है। जब हम रिश्तों को मान देते हैं तो बदले में हमें वहां से भी मान मिलता है। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि जब किसी के सामने कोई महत्वपूर्ण कार्य आता है तो लोग अक्सर उसकी सहायता करने से बचने के लिए बहाने बनाने का सहारा लेते हैं और सोचते हैं इससे दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर वही बहाने

आगे हम से रू-ब-रू होते हैं।

हमने वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर तो सुने थे, लेकिन अब डिज़ाइन थिंकिंग एवं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस दौर में (फ्यूनरल प्लानिंग) अंतिम संस्कार कंपनियां आ गई हैं। लॉकडाउन के समय सेवा भाव से आए ये विचार अब बाज़ारवाद के युग में पक्के बिजनेस स्टार्टअप बनते जा रहे हैं। यह फ्यूनरल प्लानिंग स्टार्टअप कंपनियां श्मशान की बुकिंग, पंडित की व्यवस्था और शव को श्मशान तक ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी मुहैया कराती हैं। ये कंपनियां अतिरिक्त चार्ज पर अंतिम यात्रा का लाइव प्रसारण भी उपलब्ध करवा देती हैं।

ये स्टार्टअप कंपनियां भी जानती हैं कि एकल एवं आत्म-केंद्रित हो चुके समाज में रिश्ते निभाने का समय किसी के पास नहीं। कई बार तो न बेटे के पास और न भाई के पास। वास्तव में यह मामला संवेदना और व्यक्तित्व का है। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि जो आया है, वह जाएगा ज़रूर। अहमद फ़राज़ ने लिखा है–'ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हमसफ़र चाहिए हुजूम नहीं, इक मुसाफ़िर भी क़ाफ़िला है मुझे।'

कुल मिलाकर दोस्ती और रिश्तों को मज़बूत बनाकर रखें, जिससे ज़िंदगी का आख़िरी रास्ता भी अपनों के साथ हो, न कि किराए के लोगों के साथ। यह समय की मांग है कि आभासी दुनिया से बाहर निकलकर रिश्तों को समय दिया जाए, क्योंकि बहुत ख़ामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहते। यह समझा जाना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ार्म पर किसी के कितने भी फालोअर्स हों, वे कठिन समय पर मुश्किल से ही काम आते हैं। वे इंटरनेट मीडिया पर संवेदना के दो शब्द लिखकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।

आईटी हब बेंगलुरू के एक प्रोफ़ेशनल ने लिखा कि 58 लाख रुपये के पैकेज के बावजूद वह अकेलेपन का शिकार है। तीन दशक पहले रॉबर्ट



पुटनम ने अपनी पुस्तक 'बोलिंग अलोन' में लिखा था कि नए दौर में 'सामाजिक पूंजी (सोशल कैपिटल) ख़त्म हो रही है, जिससे व्यक्ति बड़ी आय के बावजूद आत्मिक सुख से वंचित और जीवन से उदास है। सोशल कैपिटल वह अदृश्य पूंजी है, जो परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं और राज्य अभिकरणों पर व्यक्ति के भरोसे की मात्रा से तय होती है।

व्यक्ति की आय से मिलने वाली ख़ुशी क्षणिक और सीमित होती है, लेकिन आत्म-संतोष के लिए सामाजिक पूंजी की ज़रूरत होती है। चूंकि रॉबर्ट पुटनम एकेडमिक दुनिया से नहीं थे, लिहाज़ा समाजशास्त्रियों ने आदतन इस व्यापक शोध को ख़ारिज कर दिया, लेकिन बाद के दिनों में न केवल समृद्ध पश्चिमी दुनिया बल्कि उसी मॉडल पर आगे बढ़ते भारत और चीन में भी आज यह स्थिति महामारी बन चुकी है।

हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए सोशल कैपिटल बढ़ाने के लिए दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। भारत में भी अगर इसे सरकार और सामाजिक स्तर पर नहीं शुरू किया गया तो इसके व्यक्तिगत और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव होंगे, जिसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ेगा। जैसे पिछले तीन दशकों में जीडीपी बढ़ती गई, लेकिन मानव विकास सूचकांक वहीं का वहीं रहा, कुछ वैसी ही स्थिति चमकते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे युवाओं की भी है।

जानकारों के अनुसार इसका समाधान केवल यह है कि 'सोशल कैपिटल' तथा 'सोशल कनेक्ट' को बढ़ाया जाए। साथ ही सरकार को बुज़ुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का बेहतर इंतिज़ाम करना होगा और उनके स्वास्थ्य का ज़िम्मा लेना होगा। सामाजिक संस्थाओं को भी इस ख़तरे को प्राथमिकता देनी होगी। ■■

आधुनिक इतिहास दर्शन के पुरोधा

इब्ने ख़ल्दुन



इबारत



संपादन प्रभाग

इब्ने ख़ल्दुन (1332-1406) पूर्व-आधुनिक काल के सबसे उल्लेखनीय मुस्लिम विद्वानों में से एक थे। उन्होंने जिसे मानव समाज या सामाजिक संगठन का विज्ञान कहते थे, उसकी स्थापना की, साथ ही इतिहास लिखने की एक नई पद्धति का सूत्रपात किया। हालांकि उनके विचारों का कई शताब्दियों तक मुस्लिम विचार के विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से यूरोपीय विचारकों को बहुत प्रभावित किया। कुछ विचारकों ने इब्ने ख़ल्दुन को समाजशास्त्र और आधुनिक इतिहास लेखन का पूर्वज घोषित किया।

कुछ लोग इतालवी दार्शनिक विको (1668-1744) को इतिहास दर्शन का संस्थापक मानते हैं; अन्य लोग इसका श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू (1689-1755) को देते हैं। वास्तव में, अरबी दार्शनिक और इतिहासकार इब्ने ख़ल्दुन (1332-1406) इस इतिहास की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि किसी भी अन्य विज्ञान की तरह इसमें भी अनुसंधान की आवश्यकता थी। 'यह परिस्थितियों और घटनाओं का विज्ञान है और इसके कारण गहरे हैं, इस प्रकार यह प्राचीन ज्ञान का मूल हिस्सा है और विज्ञानों में से एक होने का हक़दार है।'

> **"इब्ने ख़ल्दुन ईश्वर में दृढ़ता से विश्वास करते थे लेकिन, उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आध्यात्मिक विचारों को थोपने के लिए अन्य इतिहासकारों की आलोचना की। परिणामस्वरूप, कुछ मुसलमानों और पश्चिमी लोगों ने इब्ने ख़ल्दून को नास्तिक क़रार देने के लिए इतिहास की उनकी अवधारणा का फ़ायदा उठाया, जिस आरोप में वह निर्दोष थे।"**

इब्ने ख़ल्दुन के अनुसार, "इतिहास मूल्यवान सिद्धांतों की एक कला है, इसलिए जो लोग सांसारिक या धार्मिक मामलों में अतीत का मार्गदर्शन चाहते हैं, उनके लिए यह लाभकारी हो सकता है।"

इब्ने ख़ल्दुन के सिद्धांत ने इतिहास को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है, प्रकट इतिहास और ऐतिहासिक सार।

उनके अनुसार, इतिहास को घटनाओं को दर्ज करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक रीति-रिवाजों और राजनीतिक आधारों की जांच करनी चाहिए। सच्चा इतिहास हमें मानव सामाजिक जीवन के बारे में बताने के लिए मौजूद है। इब्ने ख़ल्दुन की पद्धति आलोचना, अवलोकन, तुलना और परीक्षण पर निर्भर थी। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के वृत्तांतों, इन वृत्तांतों के स्रोतों और इतिहासकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक आलोचना का उपयोग किया। मिथ्याकरण और अतिशयोक्ति से

कई पुस्तकों में झूठ था, क्योंकि वे किसी शासक की चापलूसी करने या किसी संप्रदाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लिखे गए थे। जानबूझकर अपने उद्देश्यों के लिए झूठ गढ़े गए थे। इसलिए, इब्ने ख़ल्दुन ने इतिहासकार से प्रभावी आलोचना और स्पष्टीकरण में सक्षम होने के लिए सटीक अवलोकन में कुशल बनने का आग्रह किया।

थीं। उनकी पद्धति सीधे तौर पर किसी अन्य मानदंड का उल्लेख किए बिना इंद्रियों और बुद्धि पर निर्भर थी। दिव्य ज्ञान का विषय एक अदृश्य आत्मा थी जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था और जिसका कोई संवेदी प्रमाण नहीं था। इसलिए इस दुनिया में इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं हो सकता था। अतः इब्ने ख़ल्दुन ने अमूर्त या दिव्य दुनिया को अपने तार्किक शब्दावलियों से ग़ायब कर दिया। यह बिल्कुल आधुनिक प्रत्यक्षवाद द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है, और यहां तक कि व्यावहारिकता ने भी अपने प्रारंभिक चरण के दौरान इब्ने ख़ल्दुन के नक़्शेक़दम पर चलना शुरू

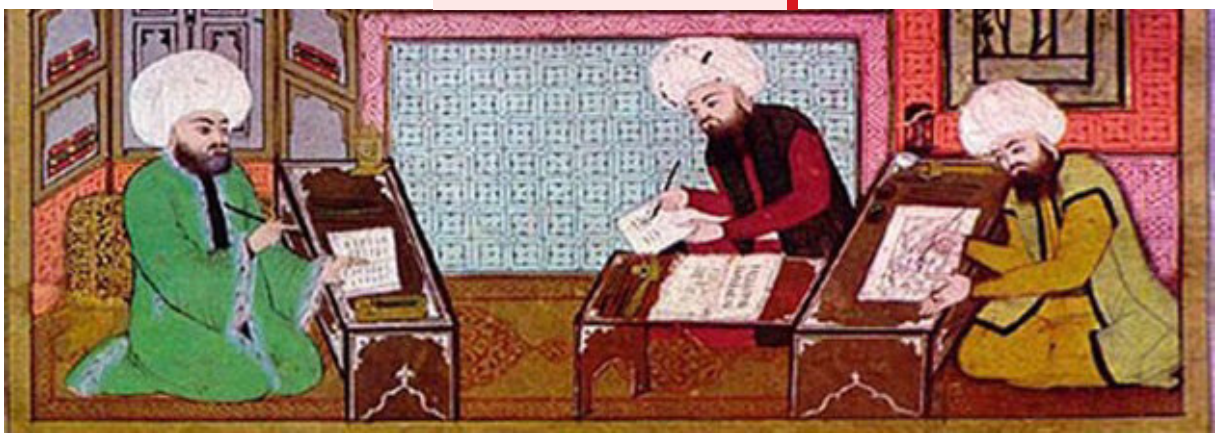

छुटकारा पाने और वास्तव में जो हुआ था उसके बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ विचार प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न वृत्तांतों की जांच और तुलना की।

कई पुस्तकों में झूठ था, क्योंकि वे किसी शासक की चापलूसी करने या किसी संप्रदाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए लिखे गए थे। जान-बूझकर अपने उद्देश्यों के लिए झूठ गढ़े गए थे। इसलिए, इब्ने ख़ल्दुन ने इतिहासकार से प्रभावी आलोचना और स्पष्टीकरण में सक्षम होने के लिए सटीक अवलोकन में कुशल बनने का आग्रह किया।

हालांकि इब्ने ख़ल्दुन ईश्वर में दृढ़ता से विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आध्यात्मिक विचारों को थोपने के लिए अन्य इतिहासकारों की आलोचना की। परिणामस्वरूप, कुछ मुसलमानों और पश्चिमी लोगों ने इब्ने ख़ल्दून को नास्तिक क़रार देने के लिए इतिहास की उनकी अवधारणा का फ़ायदा उठाया, जिस आरोप में वह निर्दोष थे।

इब्ने ख़ल्दून का मानना था कि ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटनाएं नहीं थीं, बल्कि जटिल कर दिया।

इब्ने ख़ल्दून ने इतिहास में झूठ के कई कारणों की पहचान की है, जैसे- संप्रदायवाद, स्रोतों पर ग़लत विश्वास, कुछ छिपे हुए उद्देश्य की अज्ञानता और शासकों की चापलूसी करने की इच्छा आदि। इसलिए, कई इतिहासकारों, नक़लचियों और कथाकारों ने असत्य वृत्तांतों को स्वीकार करने या उन घटनाओं को दर्ज करने की ग़लती की है जो घटित ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने केवल ख़बर पर भरोसा किया, सत्य या असत्य के लिए इसके स्रोतों पर बारीकी से शोध करने की ज़हमत नहीं उठाई।



इब्ने ख़ल्दुन का मानना था कि एक कुशल इतिहासकार में ऐतिहासिक घटनाओं और कहानियों का अध्ययन करने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए-

1. राजनीति के नियमों और लोगों के स्वभाव की समझ।

2. प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान और यह समय और स्थान के अनुसार कैसे भिन्न होता है।

3. जीवनशैली, नैतिकता, आय, सिद्धांतों आदि के संदर्भ में विभिन्न देशों के सामाजिक वातावरण से परिचित होना।

4. वर्तमान समय की समझ और अतीत से इसकी तुलना करने की क्षमता।

5. राज्यों और संप्रदायों की उत्पत्ति और उद्देश्यों, उनके घोषित सिद्धांतों, उनके नियमों और उनके इतिहास की प्रमुख घटनाओं का ज्ञान।

ऐतिहासिक घटनाओं की आलोचनात्मक समझ हासिल करने के लिए, इतिहासकार को उस अवधि की सामान्य परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए और उन विशेष घटनाओं की तुलना करनी चाहिए जिनमें उसकी रुचि है। फिर उसे इन अवधियों की सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ अन्य अवधियों में हुई किसी भी समान घटनाओं का पता लगाना चाहिए। जब वह इन दो मुख्य चरणों को पूरा कर लेता है तो उसे घटनाओं को उचित और संभवतः सत्य, या अस्वीकार्य और लगभग निश्चित रूप से ग़लत के रूप में पहचानने में सक्षम होना चाहिए।

कुछ घटनाओं का उनकी अवधि की सामान्य परिस्थितियों के साथ अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि यह पता चल सके कि उनमें से कौन-सा हिस्सा सही या ग़लत होना चाहिए।

अपने विश्लेषण में, इब्ने ख़ल्दुन का मानना है कि बुद्धि की सीमाएं हैं जिन्हें वह पार नहीं कर सकती है और ये उसे ईश्वर और उसके गुणों की पूरी समझ तक पहुंचने से रोकती है। यही इसकी वास्तविकता है। इब्ने ख़ल्दुन ने ज़ोर देकर कहा कि बुद्धि 'आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता' या परलोक में मौजूद किसी भी चीज़ से अवगत नहीं हो सकती, क्योंकि वह उस तक पहुंचने, जानने या साबित करने में असमर्थ है। हम केवल उसके प्रति जागरूक हो सकते हैं जो भौतिक है। यदि कोई चीज़ सारहीन है तो हम न तो उसे सिद्ध कर सकते हैं और न ही उस पर कोई प्रमाण आधारित कर सकते हैं।

इब्ने ख़ल्दुन ने अरबी-इस्लामी बुद्धि द्वारा दार्शनिक विचार को अंतिम झटका देकर, अल्गाज़ेल (1059-1111) का अनुकरण करना पसंद करते हुए, तत्वमीमांसा (metaphysics) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुद्धि को थोड़ा प्रोत्साहन दिया। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि एक दरवाज़ा बंद करके इब्ने ख़ल्दुन ने मानव मस्तिष्क के लिए एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल दिया।

18वीं शताब्दी के बाद से, पश्चिमी दुनिया ने इब्ने ख़ल्दुन को गंभीरता से लिया, ख़ासकर इसलिए क्योंकि उनके वैज्ञानिक विचार काफ़ी हद तक उन विचारों से मिलते-जुलते थे जो मानव इतिहास में बहुत बाद में विकसित होने वाले थे। उनके ऐतिहासिक और सामाजिक ग्रंथों के अनुवाद से शोधार्थियों को काफ़ी मदद मिली।

■■

विविधा

न्यायपूर्ण फ़ैसला



शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाले विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है, जिसमें बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और कई लोगों की नृशंस हत्या के मामले में गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की सज़ा माफ़ करने को खारिज कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सज़ा माफ़ कर दी थी, जिसके बाद 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। शीर्ष अदालत के फ़ैसले की सराहना करने वाले संगठनों में जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच), ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत और ईसाई मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ता शामिल हैं।

जेआईएच की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के क़ानून की ग़लत व्याख्या करके सज़ा माफ़ की। उन्होंने कहा, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को देश को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जेआईएच नेता ने महसूस किया कि "सज़ा माफ़ी का उद्देश्य एक विशेष वोट बैंक को खुश करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। यह बेहद आपत्तिजनक था और यह हमारी न्याय प्रणाली का मज़ाक था। इससे हमारे देश के नागरिकों की न्याय प्रणाली में आशा ख़त्म हो सकती थी। सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के स्थायी सिद्धांतों में से एक है, और हम बिलकिस बानो के मामले में न्याय को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करते हैं। यह काफी निंदनीय था कि कैसे इन दोषियों को सज़ा सुनाए जाने के बाद सम्मानित किया गया और उनकी सराहना की गई।

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने सत्तारूढ़ दल के नारी शक्ति के प्रवर्तक और महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के संरक्षक होने के पाखंड को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। यह सच्चाई और न्याय की जीत है!

20 वर्षों से कोई वार्षिक रिपोर्ट नहीं



वर्ष 2003 में बोर्ड के गठन के बाद से उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट कभी भी विधानसभा में पेश नहीं की गई क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट कभी तैयार ही नहीं की गई। रिपोर्ट तैयार करना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ज़िम्मेदारी है। वर्तमान में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। यह जानकारी उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड ने एक सवाल के जवाब में आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीमुद्दीन को दी है। उन्होंने वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा 98 के तहत उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में विवरण मांगा था, जिसे हर साल तैयार किया जाना चाहिए और राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए।

उक्त जानकारी सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह के आदेश पर लोक सूचना पदाधिकारी सह रिकार्ड कीपर सोहन सिंह ने उपलब्ध करायी। आवेदक अधिवक्ता नदीम को दी गई जानकारी में कहा गया है कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड और वक़्फ़ की संपत्तियों के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। वर्तमान में यह आशंका है कि बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

जेलों में जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान



सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा वाले जेल मैनुअल को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता और जाति उन स्थानों का निर्धारण करती है जहां कैदियों को रखा जाता है। इन 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र शामिल हैं।

कुप्रथा का कलंक

नज़रिया



गुलज़ार सहराई

इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, वह है –'हलाला'। यह शब्द आज एक गाली बन चुका है, और यह गाली केवल मुसलमानों को ही नहीं दी जाती, बल्कि उन ग़ैर-मुस्लिमों, विशेषकर उन ग़ैर-मुस्लिम महिलाओं को भी दी जाती है, जो मुसलमानों के साथ हुए ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करती हैं। इधर किसी सत्यप्रिय ग़ैर-मुस्लिम महिला ने सरकार द्वारा या हिन्दुत्ववादी तत्वों के द्वारा मुसलमानों के साथ हुए ज़ुल्म के ख़िलाफ़ कुछ कहा, तुरन्त हिन्दुत्ववादी मानसिकता वाले लोगों या सरकार के अन्धभक्तों की ओर से उसे ट्रोल किया जाने लगता है....."बड़ी मुस्लिम समर्थक बनती है, ऐसा है तो पाकिस्तान चली जा, 'हलाला' करवा ले.....आदि आदि!"

जहां तक पाकिस्तान के ताने का सवाल है, उसका जवाब तो दिया जा सकता है, मगर 'हलाला' एक ऐसा ताना या ऐसी गाली है कि उसके आगे बेचारी ऐसी महिलओं को भी चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम समाज की यह कुरीति है ही ऐसी।

बहुत-सी ऐसी चीज़ें और ऐसी धारणाएं भी प्रचलन में होती हैं, जो वस्तुतः इस्लाम का अंग नहीं होतीं, उन्हीं में से एक 'हलाला' भी है।

प्रचलित 'हलाला' आख़िर है क्या?

'हलाला यह है कि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 'तीन तलाक़े' दे दे। फिर दूसरा व्यक्ति उस स्त्री के साथ इस शर्त पर निकाह करे कि वह उसके साथ सम्भोग करने के बाद उसे तलाक़ दे दे, ताकि वह औरत पहले शौहर के लिए हलाल (वैध) हो जाए।'

> **बहुत-सी ऐसी चीज़ें और ऐसी धारणाएं भी प्रचलन में होती हैं, जो वस्तुतः इस्लाम का अंग नहीं होतीं, उन्हीं में से एक 'हलाला' भी है।**

'हलाला' की यह परिभाषा सुनने के बाद सबसे पहले जो सवाल ज़ेहन में आता है वह यह कि....यह कैसा नियम है कि तलाक़ देने की ग़लती तो पुरुष करता है परन्तु पुनर्मिलन के लिए 'अग्नि-परीक्षा' स्त्री को देनी पड़ती है? यह तो सरासर अन्याय है।

यह वाक़ई अन्याय है और सिर्फ़ अन्याय ही नहीं, स्त्री का अपमान भी है और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ भी, जिसका वस्तुतः इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले मौलवियों द्वारा इस्लाम के एक सिद्धान्त को ठीक से न समझ पाने या जान-बूझकर उस सिद्धान्त का दुरुपयोग करने की भावना का परिणाम है, जिसके चलते यह मुस्लिम समाज में प्रचलित हो गया है और इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से अनजान अधिकांश मुस्लिम लोग भी इस प्रथा का विरोध नहीं कर पाते। यहाँ यह बात स्पष्ट रहे कि प्रोपेगंडे के विपरीत 'हलाला' की घटनाएं (जिन्हें दुर्घटना कहना चाहिए) अगरचे मुस्लिम समाज में बहुत कम घटती हैं, परन्तु यह भी सच है कि इस्लाम की सही शिक्षा न होने के कारण मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग 'हलाला' को एक 'इस्लामी प्रक्रिया' मानता है। हालांकि अगर सर्वे किया जाए तो अधिकतर मुसलमान दिल में इस 'प्रक्रिया' को ग़लत समझते हैं, मगर ज़बान से इसे ग़लत कहना वह 'ईमान' के ख़िलाफ़ समझते हैं, क्योंकि मौलवियों ने उनको यही समझा रखा है, इसलिए हलाला का ज़िक्र आते ही वे मौन धारण कर लेते हैं।

'हलाला' की ज़रूरत क्यों?

दरअस्ल इस्लाम में विवाह विच्छेद के लिए तलाक़ की जो व्यवस्था है, उसमें दो बार यह प्रावधान रखा गया है

कि यदि पति-पत्नी को अपनी ग़लती का आभास हो जाए तो वे पुनर्मिलन कर सकते हैं।

क़ुरआन में इसे इस प्रकार बयान किया गया है–

"तलाक़ दो बार है, फिर सामान्य नियम के अनुसार (स्त्री को) रोक लिया जाए, या भले तरीक़े से विदा कर दिया जाए।" (क़ुरआन, 2:229)

तलाक़ के ये दो चरण बहुत महत्त्व रखते हैं। यदि इस्लाम के अनुसार इनका पालन करते हुए तत्काल तीन तलाक़ें देने के बजाय समय के अन्तराल से एक-एक करके दो बार तलाक़ दी जाए तो इस अन्तराल में पति-पत्नी दोनों को सोचने-समझने का भरपूर मौक़ा मिल जाता है। इस दौरान वे तीसरी तलाक़ से पहले ही (बल्कि एक तलाक़ पर भी) चाहें तो बिल्कुल अलग हो सकते हैं और चाहें तो पुनर्मिलन भी कर सकते हैं, इस दौरान 'हलाला' जैसी किसी 'अग्नि-परीक्षा' की कोई ज़रूरत नहीं होती है।

ज़ाहिर है कि ठहर-ठहरकर लम्बे समय के अन्तराल से अगर तलाक़ दी जाए तो दोनों को यह फ़ैसला करना कुछ मुश्किल नहीं रहता कि आगे उनमें निभ सकेगी या नहीं, हां जिनकी निर्णय-शक्ति ही कमज़ोर हो उन्हें सौ ऑपशन भी दे दिए जाएं तो कम है। वे बार-बार तलाक़ देंगे और बार-बार पुनर्मिलन करेंगे। क़ुरआन के अवतरण से पहले यही होता भी था, इसके कारण स्त्रियों की दशा बड़ी अजीब थी और वे अधर में लटकी रहती थीं, अपनी भावुक प्रवृत्ति के कारण वे पुरुष के हाथों में खेलती रहती थीं जो उन्हें कभी छोड़ देता था, कभी फिर पुनर्मिलन कर लेता था। क़ुरआन ने आकर इसकी सीमा तय कर दी—

"फिर (दो तलाक़ों के पश्चात्) यदि वह उसे तलाक़ दे दे, तो इसके पश्चात् वह (स्त्री) उसके लिए हलाल (वैध) न होगी, जब तक कि वह उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पति से विवाह न कर ले। फिर यदि वह (दूसरा पति) उसे तलाक़ दे दे तो उन दोनों के लिए एक-दूसरे की ओर पलट आने में कोई गुनाह न होगा, यदि वे समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं पर क़ायम रह सकते हैं।"

(क़ुरआन, 2:230)

तीन तलाक़ के बाद पुनर्मिलन पर प्रतिबंध क्यों?

यह प्रतिबन्ध है इस बात के लिए लगाया गया ताकि कोई पुरुष अपनी पत्नी को खिलौना न बना ले कि जब चाहे छोड़ दे और जब चाहे पुनर्मिलन कर ले। यह स्त्रियों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे भावुकता में पुरुष के हाथों खिलौना न बनी रहें, बल्कि जो पति तीन बार तलाक़ दे चुका हो, उसे छोड़कर अब ज़िन्दगी की नई राहें तलाश करें और नए जीवन-साथी के साथ जीवन गुज़ारें। हां, यदि जीवन में किसी मौक़े पर फिर उस दूसरे पति से भी निर्वाह न हो सके और बात तलाक़ तक पहुंच जाए तो उसके बाद पहले पति के पास वापस आने का ऑपशन खुल जाता है। और यह ऑपशन खुल जाना कोई बुरी बात भी नहीं है। बहुत-से मरहले इंसान की ज़िन्दगी में ऐसे पेश आते हैं, जब उसे लगता है कि इससे तो पहलेवाला ऑपशन ही अच्छा था, तो अगर विवाह में भी यही नीति लागू हो तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

एक सिद्धान्त को ठीक से न समझ पाने या जान-बूझकर उस सिद्धान्त का दुरुपयोग करने की भावना का परिणाम है, जिसके चलते यह मुस्लिम समाज में प्रचलित हो गया है और इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से अनजान अधिकांश मुस्लिम लोग भी इस प्रथा का विरोध नहीं कर पाते।

यहां यह भी स्पष्ट रहे कि पुरुषों की पितृसत्तात्मक मानसिकता से इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) परिचित थे और वे जानते थे कि इस शर्त का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीक़े से इस 'ऑपशन' को दुरुपयोग करने को अत्यंत निकृष्टतम और घृणित प्रक्रिया ठहराया–

अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि०) कहते हैं कि "अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने हलाला करनेवाले और हलाला करानेवाले दोनों पर लानत (फिटकार) भेजी है।"

(सुनन तिरमिज़ी, हदीस नं० 1120)

यही नहीं, बल्कि एक दूसरी हदीस में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है–

उक़बा-बिन-आमिर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया : "क्या मैं किराए के सांड के बारे में न बताऊं (कि वह कौन होता है)?" सहाबा (रज़ि०) ने कहा, "जी हां, (बताइए) ऐ अल्लाह के रसूल!" आप (सल्ल०) ने फ़रमाया: "वह हलाला करने वाला है, अल्लाह ने हलाला करने वाले और हलाला करानेवाले (दोनों) पर लानत (फिटकार) की है।"

(इब्ने-माजा, हदीस नं० 1936, बहवाला मक्तबा शामला उर्दू)

देखा आपने! हदीसों में हलाला की प्रक्रिया की घोर निन्दा की गई है। इसलिए मुसलमानों का एक वर्ग जो

हदीसों को बहुत महत्त्व देता है और इस कारण ख़ुद को 'अहले-हदीस' कहता है, वह ऐसी हदीसों के आधार पर प्रचलित 'हलाला' को पूर्णत: हराम (निषिद्ध) ठहराता है। यह वर्ग एक साथ तीन तलाक़ों को भी एक तलाक़ मानता है, क्योंकि उसका कहना है कि जब क़ुरआन ने तीन बार में तलाक़ देने को कहा है, तो तीन तलाक़ें एक ही बार में कैसे लागू हो सकती हैं?

दूसरी तरफ़ एक बड़ा वर्ग जो हनफ़ी मसलक मानने का दावेदार है, उसके निकट तलाक़ के तीन स्टेप हैं, चाहे समय के अन्तराल से दी जाएं या एक साथ तीनों तलाक़ें दे डाली जाएं, वे लागू हो जाएंगी। विडंबना यह है कि इस बड़े वर्ग में यह ग़लत धारणा भी फैल गई है कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध विच्छेद केवल तीन तलाक़ ही से होता है, इसलिए आम तौर पर मुस्लिम पुरुष लड़ाई-झगड़े के समय आवेश में आकर एक साथ तीन तलाक़ दे डालते हैं, और फिर ग़ुस्सा उतरने के बाद पछताते हैं, तब 'हलाला' से सम्बन्धित हदीस की चेतावनी को नज़रअन्दाज़ कर, क़ुरआन की आयत से ग़लत मतलब लेने वाले मौलवी उन्हें 'हलाला' का यह घृणित मार्ग सुझाते हैं।

कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्री को पुरुष के शोषण से बचाने के लिए तीन तलाक़ के बाद रोक की यह शर्त रखी गई कि बस, अब वह इस पति पर भरोसा न करे, बल्कि नया जीवन शुरू करे, उसी शर्त को स्त्री की भावनाओं से खेलते हुए उसके दैहिक एवं भावनात्मक शोषण का बहाना बना लिया गया। एक तरफ़ पितृसत्तात्मक सोच के मौलवियों ने धार्मिक नियम के नाम पर 'हलाला' को जाइज़ ठहराया, वहीं अपने भावुक स्वभाव के चलते स्त्रियां इस शोषण का शिकार बनने लगीं। कोई भी स्त्री अपना घर उजड़ता देखना नहीं चाहती, इसलिए वह अपने दुष्ट पति की इस ग़लती की सज़ा ख़ुद भुगतने के लिए तैयार हो जाती है, और यह बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है।

लेकिन ज़रा सोचिए कि यह कितना बड़ा अन्याय है कि पुरुष की भावनात्मक ग़लती की सज़ा स्त्री को झेलनी पड़े। एक स्त्री इस 'अग्निपरीक्षा' से गुज़रते हुए कितनी बार अपनी आत्मा को मारती होगी, यह कल्पना करना भी असहनीय है।

परन्तु मुस्लिम समाज में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जब एक साथ तीन तलाक़ पाई हुई स्वाभिमानी स्त्रियों ने पुनः पति को पाने के लिए 'हलाला' की प्रक्रिया से गुज़रने से साफ़ इनकार कर दिया और परित्यक्त पति से सदा के लिए दूरी बनाना उचित समझा।

जो लोग इस बात का आग्रह करते हैं कि एक साथ तीन तलाक़ देने से तीन तलाक़ें हो जाती हैं और वापसी का रास्ता ख़त्म हो जाता है, उन्हें चाहिए था कि समाज में यह जागरूकता फैलाते कि स्त्री-पुरुष के अलग होने के लिए तीन तलाक़ें ज़रूरी नहीं हैं, एक तलाक़ काफ़ी है, अतः जो पुरुष भी तलाक़ दे वह एक तलाक़ दे। यदि ऐसा होता तो यह पेचीदगी पैदा न होती, और न 'हलाला' जैसी कुप्रथा अस्तित्व में आती।

दुर्भाग्यवश (विद्वान) लोग समाज में यह जागरूकता नहीं फैला सके तो उन्हें कम से कम अपने अन्दर इतनी उदारता तो पैदा करनी ही चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ग़ुस्से में आकर तीन तलाक़ दे ही डाले, तो उसे 'एक' मानते हुए उसे पुनर्मिलन की सलाह दें, न कि 'हलाला' जैसी घृणित प्रक्रिया से गुज़रने की सलाह।

वैसे भी अगर ग़ौर किया जाए तो तीन तालाक़ देने वाला पुरुष वस्तुतः एक ही तलाक़ दे रहा होता है, क्योंकि उसे तो यह पता ही नहीं होता कि एक तलाक़ से भी पत्नी से सम्बन्ध टूट जाता है, उसे तो यही मालूम होता है कि तीन तलाक़ के बिना तलाक़ होगी ही नहीं, इसलिए वह 'तीन तलाक़' कहकर रिश्ता ख़त्म करता है। इसलिए बुद्धिसंगत भी यही है कि उसके इस कृत्य को एक तलाक़ मानते हुए पुनर्मिलन की अनुमति दे दी जाए।

सबसे अधिक दुख की बात यह है कि 'हलाला' जैसी प्रक्रिया जो इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी का कारण बनी हुई है, उसके सम्बन्ध में कुछ तथाकथित मुस्लिम आलिम या तो ख़ामोश रहते हैं या विभिन्न बहानों से उसे उचित ठहराते हैं, वे एक साथ तीन तलाक़ को 'तीन' लागू होने पर एड़ी चोटी का ज़ोर तो लगाते हैं, लेकिन मुस्लिम पुरुषों को एक साथ तीन तलाक़ देने से रोकने के लिए उनमें जागरूकता पैदा नहीं करते। इसलिए कि उन्होंने 'हलाला' के रूप में उसका विकल्प खोज रखा है, जिसमें उन्हें न कोई बुराई नज़र आती है, न स्त्री का अपमान, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ से इसे एक 'मज़हबी उसूल' मान रखा है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम इस मामले में छाई चुप्पी को तोड़ें। मुस्लिम उलेमा (विद्वानों) को चाहिए कि वे मस्लकी हदबंदियों से ऊपर उठकर इस समस्या का कोई ठोस हल तलाश करें। समय आ गया है कि इस्लाम विरुद्ध इस कुप्रथा की कटु आलोचना हो, ताकि इस्लाम की सही तस्वीर आम लोगों के सामने आ सके। निश्चय ही विवेकशील मुसलमानों के लिए यह एक चिंता का विषय है। ■■



समय की मांग है 'स्क्रीन डिटॉक्स'

सेहत

संपादन प्रभाग

दशकों पहले हर शहर में रुपहले पर्दे लगे थे, स्कूल-कॉलेज के लड़कों को क्लास रूम के बजाय इस पर्दे के सामने बैठे रहना अधिक रुचिकर लगने लगा था। बड़े-बूढ़े जवान होते बच्चों को यही कहते सुने जाने लगे कि ये अंधेरे में लगा सफ़ेद पर्दा तुम्हारे भविष्य के लिए ज़हर है ज़हर! उस समय भी मैसेज यही था कि पर्दे से आंखें हटाओ क्योंकि वहां के लोग और दुनिया मायावी है, नक़ली है। जो दिख रहा है असलियत से दूर है। मन की आंखें खोलो, ज्ञान के उजाले को अंदर आने दो, परंतु माना किसी ने भी नहीं। लेकिन ये पर्दे वाली माया दो-ढाई घंटे वाली होती थी, वो भी हफ़्ते में दो-एक बार और उसमें ही घरों में बवाल मचा रहता।

समय का चक्र घूमा और पर्दा सिनेमाघरों से उतरकर घरों में आ गया टेलीविज़न बनकर। शाम के छह बजते ही लोग-बाग इस पर्दे के सामने दरियां बिछाकर आ बैठते और देर रात ग्यारह बजे लगने वाले जय हिंद को सुनकर ही उठते। बूढ़े ख़ुद तो डटे रहते टीवी के सामने पर बच्चों को दौड़ाते रहते यह कहकर कि स्क्रीन पर नज़रें गड़ाने से आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो बड़े-बूढ़े बच्चों के सोने तक देखते और बच्चे बूढ़ों के। जैसे लुकाछिपी का खेल हो क्योंकि टीवी के प्रसारण का समय बढ़ता जा रहा था।

मोबाइल के नशे में दुनिया झूम रही है और रिश्ते-नाते गुम होने लगे हैं। इसकी स्क्रीन का नशा अब सर पर ही नहीं दिमाग़ में भी घुसने लगा है। अब ज़रूरत महसूस होने लगी है कि इस नशे को उतारें न सही, पर इसके असर को कम करें। इसका एक ही इलाज नज़र आ रहा है और वह है स्क्रीन डिटॉक्स। यानी हर तरह की स्क्रीन से कुछ देर के लिए दूर रहना।

सदी के बदलते ही वक़्त ने ज़बरदस्त करवट ली और घर में उपलब्ध स्क्रीन अब सबके हाथों में आ बैठी, जिसने दुनिया के रीति-रिवाज ही बदल डाले। मोबाइल का पर्दा अब सर चढ़कर जादू दिखाने लगा, जैसे हर इंसान की जेब में ज़हर की पुड़िया आ गिरी हो। इसके नशे में दुनिया झूम उठी और रिश्ते-नाते गुम होने लगे। पर्दे का नशा अब सर पर ही नहीं दिमाग़ में भी घुसने लगा। अब ज़रूरत महसूस होने लगी है कि इस नशे को उतारें न सही, पर इसके असर को कम करें। इसका एक ही इलाज नज़र आ रहा है और वह है स्क्रीन डिटॉक्स। यानी हर तरह की स्क्रीन से कुछ देर के लिए दूर रहना।

मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टीवी- ये सब पर्दे हैं, जिन पर हम कुछ न कुछ देखते-पढ़ते-सुनते रहते हैं लगभग हर समय। सोई या अधसोई अवस्था में भी अंतर्मन नोटिफ़िकेशंस के प्रति चैतन्य ही रहता है। जब मोबाइल हाथ में न हो या बंद हो तो भी विचार यही आते हैं कि कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कहीं मोबाइल ऑफ़ तो नहीं, बैटरी ख़त्म तो नहीं हो गई, साउंड म्यूट

तो नहीं हो गया? किसी का जवाब आना था पता नहीं क्यों नहीं आया, देखता हूं। कौन-कौन ऑनलाइन है देखूं तो ज़रा। देखो बेईमान ख़ुद तो सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, और मुझे गुडनाइट बोला था। या कितने सारे पोस्ट डाले हैं, देखूं किस-किसने लाइक या कमेंट भेजे या उसकी टाइमलाइन पर देखता हूं क्या चल रहा है। और कुछ नहीं तो कोई ईमेल तो नहीं आया? इन बहानों की आपाधापी में नज़रें तो स्क्रीन पर ही जम जाती हैं।

आदत पड़ गई है किसी न किसी बहाने मोबाइल को बार-बार खोलकर देखने की। एक मानसिक बंदिश और दबाव हर समय सर पर मौजूद। आपसी बातचीत, पार्टी, शादी-ब्याह से लेकर पिक्चर हॉल और बेशर्मी से श्मशान घाट और ग़मी पर भी लोग मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं। मियां-बीवी भी आसपास बैठे हों, फिर भी दोनों के मोबाइल चालू। बच्चा रो रहा है, उसे भी मोबाइल पर कार्टून लगाकर पकड़ा दिया। यहां तक कि स्कूटर, बाइक, कार चलाते समय भी मोबाइल चालू। ये नेत्र रोग ब्लैक एंड वाइट और फिर कलर टीवी से चालू होकर वीसीपी और वीसीआर की प्रदक्षिणा लगाता हुआ टेबलटॉप कम्प्यूटर पर फेरा मारकर लैपटॉप की गोद में चढ़कर अब मोबाइल पर कैंसर की तरह चिपक गया है एक लाइलाज बीमारी बनकर।

अब तो ये ऑफ़िस का भी अभिन्न अंग बन गया। हम सब अब ऑनस्क्रीन ही रहते हैं। सोशल मीडिया, सेल्फ़ी, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग आदि-आदि के ज़माने में हम अपने आप से भी दूर होते जा रहे हैं। कमज़ोर याददाश्त, भुलक्कड़पन, बेख़याली या किया कुछ हो गया कुछ का कुछ! ये सब स्क्रीन



डिटॉक्स न होने की वजह से ही है। 24 में से बमुश्किल पांच या छह घंटे शायद हम स्क्रीन से दूर रहते होंगे, उसके बाद फिर शुरू! हमें इन पांच घंटों को 10 घंटे करना ज़रूरी है, फिर और भी ज़्यादा।

स्क्रीन डिटॉक्स का मतलब

स्क्रीन डिटॉक्स का अर्थ मोबाइल का उपयोग पूरी तरह बंद करने से नहीं



बल्कि उसका उपयोग दृश्य से श्रव्य की तरफ़ ले जाने से है। इन कामों को करते समय हम स्क्रीन डिटॉक्स ही रहें तो ही बेहतर होगा–सुबह-शाम की सैर, टॉयलेट, चाय, अख़बार पढ़ते समय, बाथरूम, पूजा, वर्ज़िश करते समय, बाज़ार में, कार या बाइक-स्कूटर चलाते समय, मंदिर में, श्मशान घाट पर, मातमपुर्सी के समय, मेहमानों के घर आने पर या किसी के यहां जाने पर, पार्टियों में, शादी-ब्याह रिसेप्शन में। इन अवसरों पर हम क़तई मोबाइल न खोलें क्योंकि न खोलने पर कुछ फ़र्क़ नहीं पड़ता।

इसके अलावा हम मोबाइल का उपयोग बात करने के लिए करें, स्क्रीन न खोलें। मैसेजिंग और टेक्स्टिंग की जगह फ़ोन पर बात करना ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा मज़ेदार और सार्थक भी होता है। पर इतना आसान भी नहीं है। ऑफ़िस में तो ज़रूरत है ही तो दोस्तों से उपरोक्त माध्यमों से जुड़े रहना भी अब अपरिहार्य है। स्क्रीन के बिना जीवन अधूरा और अपूर्ण भी है। समय के साथ भी चलना है, सारी जानकारियां और सूचनाएं भी तो स्क्रीन पर ही हैं। इसलिए स्क्रीन इंटॉक्सिकेशन का भी समय निर्धारित करना पड़ेगा। यानी हम कब, किस समय ऑनलाइन होंगे, वह भी अपनी सुविधानुसार तय करना होगा और अपने जानने वाले लोगों को बताना भी पड़ेगा ताकि ग़लतफ़हमी न हो। ऑफ़िस कार्य तो आवश्यक हैं, पर उसके बाद जो भी कार्य हम स्क्रीन पर करते हैं, उसी की प्लानिंग करने की सख़्त आवश्यकता है।

कभी-कभी महीने में एक पूरा दिन स्क्रीन डिटॉक्स करके देखिए, दुनिया ही अलग दिखाई देगी। जैसे सवेरे पांच बजे का शहर कितना साफ़-सुथरा हरा-भरा दिखता है, कुछ वैसा ही। करके देखिए, मुश्किल है पर असम्भव नहीं। ■■

औपचारिक डिग्री के बिना भी

बेहतर करियर विकल्प

करियर



संपादन प्रभाग

बेहतर करियर के लिए अच्छी पढ़ाई और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती। लेकिन ऐसे भी कई करियर ऑप्शन हैं जिनमें बिना डिग्री के भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं-

यदि आप कॉलेज में हैं और आगे करियर टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं तो आप छोटे बजट के साथ स्टार्टअप के लिए वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लेने की कोई जरुरत नहीं है।

1. वेबसाइट डेवलपर (Website Developer)

यदि आप कॉलेज में हैं और आगे करियर टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं तो आप छोटे बजट के साथ स्टार्टअप के लिए वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।

सैलरी : ज़्यादातर छात्र जो अपने स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, उन्होंने इसे यूट्यूब पर सीखा है और हर वेबसाइट बनाने के लिए 30,000 रुपये की सैलरी ले रहे हैं।

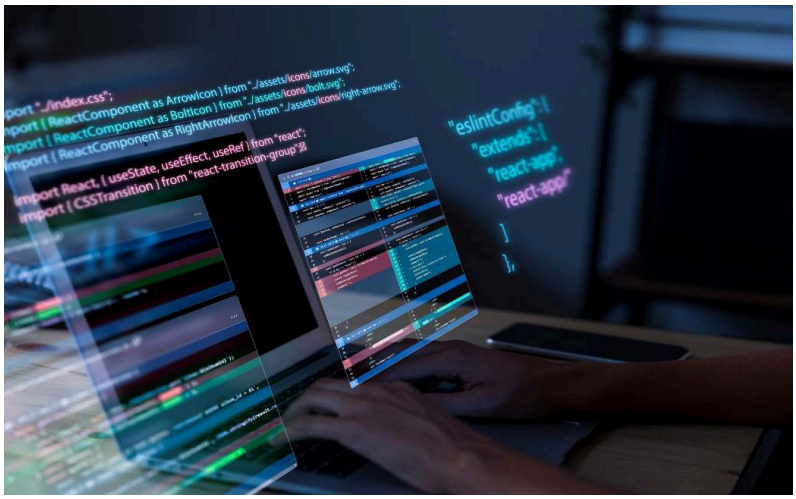

2. ट्रांसलेटर्स (Translators)

यदि आप कई भाषा जानते हैं और नई-नई भाषा जानने के शौक़ीन हैं तो आप ट्रांसलेटर के पदों पर काम कर सकते हैं।

सैलरी : असाइनमेंट के आधार पर ट्रांसलेटर हर ट्रांसलेशन के 25,000 रुपये तक कमा सकते हैं।

3. इवेंट प्लानर (Event Planner)

जिस प्रकार भारत में शादियां जितनी भव्य तरीक़े से होती हैं, उतनी ही इवेंट प्लानर की उतनी मांग में बढ़ोत्तरी होती है। इवेंट प्लानर्स को किसी औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बढ़िया कम्यूनिकेशन स्किल, क्रिएटिव आइडिया होने के साथ-साथ उनका दिमाग़ नए-नए डिज़ाइन के बारे में सोचता हो।

सैलरी : इवेंट प्लानिंग में, कोई व्यक्ति काम और क्लाइंट के आधार पर 10,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये प्रति इवेंट तक कमा सकता है। साथ ही इस फ़ील्ड में कमाई की कोई सीमा नहीं है।

4. सोशल मीडिया मैनेजर (Social Media Manager)

पिछले कुछ सालों में सोशल



मीडिया मार्केटिंग नौकरियों, एजेंसियों और फ्रीलांसरों में बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी हुई है। एक छोटे से स्टार्ट-अप से लेकर एक बड़े ब्रांड तक, हर किसी को एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस अपने फेसबुक पेज पर क्या देखती हैं। ये काम सोशल मीडिया मैनेजर का होता है।

सैलरी : सोशल मीडिया मैनेजर को प्रति महीने 60,000 रुपये तक सैलरी मिल जाती है।

5. कलाकार / पेंटर
(Artist / Painter)

आज सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र कलाकार (independent artists) अपनी कल को दुनिया भर में दिखा रहे हैं। जिसके चलते ये अपना काम लोगों के बीच दिखा सकते हैं। वहीं ये एक क्रिएटिव क्षेत्र है।

सैलरी : कोई सीमा नहीं है। आपके काम के अनुसार आपको आपकी कला के पैसे मिलेंगे।

6. डॉग ट्रेनर (Dog Trainer)

पिछले कुछ सालों में भारत ने डॉग ट्रेनर्स की आवश्यकता में वृद्धि देखी गई है। डॉग ट्रेनर बनने के लिए कोई औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए प्यार और उन्हें ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए।

सैलरी : दिल्ली जैसे शहर में एक डॉग ट्रेनर एक डॉग को ट्रेनिंग देने के लिए प्रति महीने 20,000 रुपये तक सैलरी लेता है। जितने डॉग को आप ट्रेनिंग देंगे आपकी सैलरी में उतनी ही बढ़ोत्तरी होगी।

7. रीयल एस्टेट एजेंट
(Real Estate Agent)

घर बेचना 2000 के दशक से युवाओं के लिए एक ख़ास करियर ऑप्शन उभर कर सामने आया है। एक रियल एस्टेट एजेंट का काम 12वीं कक्षा की डिग्री के साथ आसानी से किया जा सकता है, लेकिन घरों के बारे में जितना संभव हो उतना ज्ञान होना ज़रूरी है।

सैलरी : काम के अनुसार पैसे मिलेंगे, जिसकी कमाई तय नहीं है। ■■

घर बेचना 2000 के दशक से युवाओं के लिए एक खास करियर ऑप्शन उभर कर सामने आया है। एक रियल एस्टेट एजेंट का काम 12वीं कक्षा की डिग्री के साथ आसानी से किया जा सकता है, लेकिन घरों के बारे में जितना संभव हो उतना ज्ञान होना जरूरी है।



मुग़लों ने सल्तनत बख़्श दी



कहानी



भगवती चरण वर्मा

हीरोजी को आप नहीं जानते, और यह दुर्भाग्य की बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि केवल आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हीरोजी का भी है। कारण, वह बड़ा सीधा-सादा है। यदि आपका हीरोजी से परिचय हो जाए, तो आप निश्चय समझ लें कि आपका संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से परिचय हो गया। हीरोजी ने दुनिया देखी है। यहां यह जान लेना ठीक होगा कि हीरोजी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी है। हीरोजी के दर्शन प्राय: चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुंचता है, वह हीरोजी को एक प्याला चाय का अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुंचे, तो हीरोजी एक कोने में आंखें बंद किए हुए बैठे कुछ सोच रहे थे। हम लोगों में बातें शुरू हो गईं, और हरिजन-आंदोलन से घूमते-फिरते बात आ पहुंची दानवराज बलि पर। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने आमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा–"भाई, यह तो कलियुग है। न किसी में दीन है, न ईमान। कौड़ी-कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लग गए हैं। अरे, अब तो लिखकर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था, जब दानव तक अपने वचन निभाते थे, सुरों और नरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दानवराज बलि ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी थी। पृथ्वी ही काहे को, स्वयं अपने को भी दान कर दिया था।"

हीरोजी चौंक उठे। खांस कर उन्होंने कहा–"क्या बात है? ज़रा फिर से तो कहना!"

सब लोग हीरोजी की ओर घूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी, इस आशा से मनोहर ने शास्त्रीजी के शब्दों को दोहराने का कष्ट उठाया–"हीरोजी! ये गोवर्धन शास्त्री जो हैं, सो कह रहे हैं कि कलियुग में धर्म-कर्म सब लोप हो गया। त्रेता में तो दैत्यराज बलि तक ने अपना सब कुछ केवल वचनबद्ध होकर दान दिया था।"

हीरोजी हंस पड़े–"हां, तो यह गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले, ठीक ही है। लेकिन हम से सुनो, यह तो कह रहे हैं त्रेता की बात, अरे, तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिया था; लेकिन मैं कहता हूं कलियुग

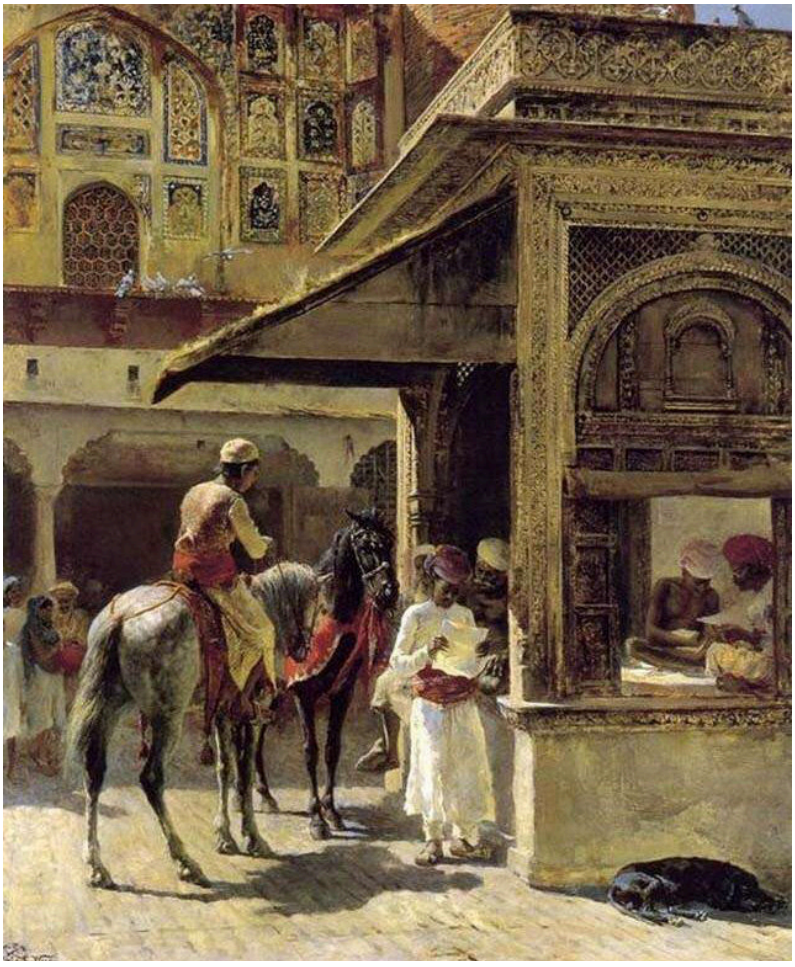

की बात। कलियुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी सात-आठ पीढ़ी तक निभाती गई और यद्यपि वह पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गई, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा।"

हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। हीरोजी की बात समझ में नहीं आई, पूछना पड़ा–"हीरोजी, कलियुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया है?"

"लौंडे हो न!" हीरोजी ने मुंह बनाते हुए कहा–"जानते हो मुग़लों की सल्तनत कैसे गई?"

"हां, अंग्रेज़ों ने उनसे छीन ली।"

"तभी तो कहता हूं कि तुम सब लोग लौंडे हो। स्कूली किताबों को रट-रटकर बन गए पढ़े-लिखे आदमी। अरे, मुग़लों ने अपनी सल्तनत अंग्रेज़ों को बख़्श दी।"

हीरोजी ने यह कौन-सा नया इतिहास बनाया? आंखें कुछ अधिक खुल गईं। कान खड़े हो गए। मैंने कहा–"सो कैसे?"

"अच्छा तो फिर सुनो!" हीरोजी ने आरंभ किया–"जानते हो शहंशाह शाहजहां की लड़की शहज़ादी रौशनआरा एक दफ़ा बीमार पड़ी थी, और उसे एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने अच्छा किया था। उस डॉक्टर को शहंशाह शाहजहां ने हिन्दुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाज़त दे दी थी।"

"हां, यह तो हम लोगों ने पढ़ा है।"

"लेकिन अस्ल बात यह है कि शहज़ादी रौशनआरा-वही शहंशाह शाहजहां की लड़की-हां, वही शहज़ादी रौशनआरा एक दफ़ा जल गई। अधिक नहीं जली थी। अरे, हाथ में थोड़ा-सा जल गई थी, लेकिन जल तो गई थी और थी शहज़ादी। बड़े-बड़े हक़ीम और वैद्य बुलाए गए। इलाज किया गया; लेकिन शहज़ादी को कोई अच्छा न कर सका-न कर सका। और शहज़ादी को भला अच्छा कौन कर सकता था? वह शहज़ादी थी न! सब लोग लगाते थे लेप, और लेप लगाने से होती थी जलन। और तुरंत शहज़ादी ने धुलवा डाला उस लेप को। भला शहज़ादी को रोकने वाला कौन था। अब शहंशाह सलामत को फ़िक्र हुई! लेकिन शहज़ादी अच्छी हो तो कैसे? वहां तो दवा असर करने ही न पाती थी।

"उन्हीं दिनों एक अंग्रेज़ घूमता-घूमता दिल्ली आया। दुनिया देखे हुए, घाट-घाट का पानी पिए हुए पूरा चालाक और मक्कार! उसको शहज़ादी की बीमारी की ख़बर लग गई। नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल दरियाफ़्त किया। उसे मालूम हो गया कि शहज़ादी जलन की वजह से दवा धुलवा डाला करती है। सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंचा। कहा कि डॉक्टर हूं। शहज़ादी का इलाज उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने शहज़ादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उलटे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंची। अब भला शहज़ादी उस दवा को क्यों धुलवाती। हाथ अच्छा हो गया। जानते हो वह दवा क्या थी?" हम लोगों की ओर भेद भरी दृष्टि डालते हुए हीरोजी ने पूछा।

"भाई, हम दवा क्या जानें?" कृष्णानंद ने कहा।

"तभी तो कहते हैं कि इतना पढ़-

लिखकर भी तुम्हें तमीज़ न आई। अरे वह दवा थी वैसलीन-वही वैसलीन, जिसका आज घर-घर में प्रचार है।"

"वैसलीन! लेकिन वैसलीन तो दवा नहीं होती," मनोहर ने कहा।

हीरोजी संभल कर बैठ गए। फिर बोले–"कौन कहता है कि वैसलीन दवा होती है? अरे, उसने हाथ में लगा दी वैसलीन और घाव आप-ही-आप अच्छा हो गया। वह अंग्रेज़ बन बैठा डॉक्टर-और उसका नाम हो गया। शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा– मांगो।" उस फिरंगी ने कहा–"हुज़ूर, मैं इस दवा को हिन्दुस्तान में रायज़ करना चाहता हूं, इसलिए हुज़ूर, मुझे हिन्दुस्तान में तिजारत करने की इजाज़त दे दें।" बादशाह सलामत ने जब यह सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा– "मंज़ूर! और कुछ मांगो।" तब उस चालाक डॉक्टर ने जानते हो क्या मांगा? उसने कहा–"हुज़ूर, मैं एक तंबू तानना चाहता हूं, जिसके नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे किए जावेंगे। जहांपनाह यह फ़रमा दें कि उस तंबू के नीचे जितनी ज़मीन आवेगी, वह जहांपनाह ने फिरंगियों को बख़्श दी।" शहंशाह शाहजहां थे सीधे-सादे आदमी, उन्होंने सोचा, तंबू के नीचे भला कितनी जगह आवेगी। उन्होंने कह दिया–"मंज़ूर।"

"हां तो शहंशाह शाहजहां थे सीधे-सादे आदमी, छल-कपट उन्हें आता न था। और वह अंग्रेज़ था दुनिया देखे हुए। सात समुद्र पार करके हिंदुस्तान आया था! पहुंचा विलायत, वहां उसने बनवाया रबड़ का एक बहुत बड़ा तंबू और जहाज़ पर तंबू लदवा कर चल दिया हिंदुस्तान। कलकत्ते में, उसने वह तंबू लगवा दिया। वह तंबू कितना ऊंचा था, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उस तंबू का रंग नीला था। तो जनाब, वह तंबू लगा कलकत्ते में, और विलायत से पीपे-पर-पीपे लद-लद कर आने लगे। उन पीपों में वैसलीन की जगह भरा था एक-एक अंग्रेज़ जवान, मय-बंदूक़ और तलवार के। सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए गए। जैसे-जैसे पीपे ज़मीन घेरने लगे, वैसे-वैसे तंबू को बढ़ा-बढ़ाकर ज़मीन घेर दी गई। तंबू तो रबड़ का था न, जितना बढ़ाया, बढ़ गया। अब जनाब, तंबू पहुंचा प्लासी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था। अरे सब झूठ है। अस्ल में तंबू बढ़ते-बढ़ते प्लासी पहुंचा था, और उस वक़्त मुग़ल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस यह कह दिया गया कि प्लासी की लड़ाई हुई। जी हां, उस वक़्त दिल्ली में शहंशाह शाहजहां की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा, उस वक़्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था। वह इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसने मौक़ा देखा न महल, वहीं सड़क पर खड़े होकर उसने चिल्ला कर कहा–"जहांपनाह, ग़ज़ब हो गया।

उन्हीं दिनों एक अंग्रेज़ घूमता-घूमता दिल्ली आया। दुनिया देखे हुए, घाट-घाट का पानी पिए हुए पूरा चालाक और मक्कार! उसको शहज़ादी की बीमारी की ख़बर लग गई। नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल दरियाफ़्त किया। उसे मालूम हो गया कि शहज़ादी जलन की वजह से दवा धुलवा डाला करती हैं। सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंचा। कहा कि डॉक्टर हूं। शहज़ादी का इलाज उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने शहज़ादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उलटे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंची। अब भला शाहज़ादी उस दवा को क्यों धुलवाती। हाथ अच्छा हो गया। जानते हो वह दवा क्या थी?" हम लोगों की ओर भेद भरी दृष्टि डालते हुए हीरोजी ने पूछा।

ये बदतमीज़ फिरंगी अपना तंबू प्लासी तक खींच लाए हैं, और चूंकि कलकत्ते से प्लासी तक की ज़मीन तंबू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरंगियों ने उस ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीज़ों ने शाही फ़रमान दिखा दिया।" बादशाह सलामत की सवारी रुक गई थी। उन्हें बुरा लगा। उन्होंने हरकारे से कहा–"म्यां हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूं। जहां तक फिरंगियों का तंबू घिर जाए, वहां तक की जगह उनकी हो गई, हमारे बुज़ुर्ग यह कह गए हैं।" बेचारा हरकारा अपना-सा मुंह लेकर वापस आ गया।

"हरकारा लौटा और इन फिरंगियों का तंबू बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपों में आदमी, अब आने लगा तरह-तरह का सामान। हिंदुस्तान का व्यापार फिरंगियों ने अपने हाथ में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। इधर तंबू बढ़ा और उधर लोगों की घबराहट बढ़ी। यह जो किताबों में लिखा है कि बक्सर की लड़ाई हुई, यह ग़लत है भाई। जब तंबू बक्सर पहुंचा, तो फिर हरकारा दौड़ा।"

"अब ज़रा बादशाह सलामत की बात सुनिए। वह जनाब दीवाने-ख़ास में तशरीफ़ रख रहे थे। उनके सामने सैकड़ों, बल्कि हज़ारों मुसाहब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे-सामने एक साहब जो शायद शायर थे, कुछ गा-गाकर पढ़ रहे थे और कुछ मुसाहब गला फाड़-फाड़कर 'वाह-वाह' चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तीतर और बटेर लड़ा रहे थे। हरकारा जो पहुंचा तो यह सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा–"म्यां हरकारे, क्या हुआ-इतने घबराए हुए क्यों हो?" हांफते हुए हरकारे ने कहा–"जहांपनाह, इन बदज़ात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है। वह अपना तंबू बक्सर खींच लाए।" बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा–"म्यां, हरकारा कहता है कि फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए। यह कैसे मुमकिन है?" इस पर एक मुसाहब ने कहा– "जहांपनाह, ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू !" दूसरे ने कहा–

घाव आप-ही-आप अच्छा हो गया। वह अंग्रेज़ बन बैठा डॉक्टर - और उसका नाम हो गया। शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा - "मांगो।" उस फिरंगी ने कहा - "हुज़ूर, मैं इस दवा को हिन्दुस्तान में रायज़ करना चाहता हूं, इसलिए हुज़ूर, मुझे हिन्दुस्तान में तिजारत करने की इजाज़त दे दें।" बादशाह सलामत ने जब यह सुना कि डॉक्टर हिन्दुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा - मंज़ूर!"

"जहांपनाह, इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं-जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं।" बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा–"म्यां हरकारे, तुम बतलाओ यह तंबू किस तरह बढ़ आया।" हरकारे ने समझाया कि तंबू रबड़ का है। इस पर बादशाह सलामत बड़े ख़ुश हुए। उन्होंने कहा–"ये फिरंगी भी बड़े चालाक हैं, पूरे अक़्ल के पुतले हैं।" इस पर सब मुसाहबों ने एक स्वर में कहा–"इसमें क्या शक है, जहांपनाह बजा फ़रमाते हैं।" बादशाह सलामत मुस्कुराए–"अरे भाई, किसी चोबदार को भेजो, जो इन फिरंगियों के सरदार को बुला लावे। मैं उसे खिलअत दूंगा।" सब मुसाहब कह उठे–"वल्लाह! जहांपनाह एक ही दरियादिल है-इस फिरंगी सरदार को ज़रूर खिलअत देनी चाहिए।" हरकारा घबराया। वह आया था शिकायत करने, यहां बादशाह सलामत फिरंगी सरदार को खिलअत देने पर आमादा थे। वह चिल्ला उठा–"जहांपनाह! इन फिरंगियों ने जहांपनाह की सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे करके उस पर क़ब्ज़ा कर लिया है। जहांपनाह, ये फिरंगी जहांपनाह की सल्तनत छीनने पर आमादा दिखाई देते हैं।" मुसाहब चिल्ला उठे –"ऐ, ऐसा ग़ज़ब।" बादशाह सलामत की मुस्कुराहट ग़ायब हो गई। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने कहा– "मैं क्या कर सकता हूं? हमारे बुज़ुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए हैं, जितनी तंबू के नीचे आ सके। भला मैं उसमें कर ही क्या सकता हूं। हां, फिरंगी सरदार को खिलअत न दूंगा।" इतना कहकर बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाक़ी अपनी बेग़ामात से बतलाने के लिए हरम में अंदर चले गए। हरकारा बेचारा चुपचाप लौट आया।

"जनाब! उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वह तंबू

तन गया। अब तो लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेतसिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक़्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। वह दीवाने-ख़ास में हाज़िर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज़ क्या कि वह तंबू बनारस पहुंच गया है और तेज़ी के साथ दिल्ली की तरफ़ आ रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठे। उन्होंने हरकारे से कहा–"तो म्यां हरकारे, तुम्हीं बतलाओ, क्या किया जाए?" वहां बैठे हुए दो-एक उमराओं ने कहा–"जहांपनाह, एक बड़ी फ़ौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते भेज दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं। जहांपनाह का हुक्म भर हो जाए। इस तंबू की क्या हक़ीक़त है, एक मर्तबा आसमान को भी छोटा कर दें।" बादशाह सलामत ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा–

"क्या बतलाऊं, हमारे बुज़ुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए, वह बख़्श गए हैं। बख़्शीशनामा की रूह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफ़ा जो ज़बान दे दी वह दे दी। तंबू का छोटा कराना तो ग़ैर-मुमकिन है। हां, कोई ऐसी हिक्मत निकाली जाए, जिससे फिरंगी अपना तंबू आगे न बढ़ा सकें। इसके लिए दरबार आम किया जाए और यह मसला वहां पेश हो।"

"इधर दिल्ली में तो यह बातचीत हो रही थी और उधर इन फिरंगियों का तंबू इलाहाबाद, इटावा ढकता हुआ आगरे पहुंचा। दूसरा हरकारा दौड़ा। उसने कहा–"जहांपनाह, वह तंबू आगरे तक बढ़ आया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया जाता, तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तान कर क़ब्ज़ा कर लेंगे।" बादशाह सलामत घबराए-दरबारे-आम किया गया। सब अमीर-उमरा इकट्ठा हो गए तो बादशाह सलामत ने कहा–"आज हमारे सामने एक अहम मसला पेश है। आप लोग जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी ज़मीन बख़्श दी थी, जितनी उनके तंबू के नीचे आ सके। इन्होंने अपना तंबू कलकत्ते में लगवाया था; लेकिन वह तंबू है रबड़ का और धीरे-धीरे ये लोग तंबू आगरे तक खींच लाए। हमारे बुज़ुर्गों से जब यह कहा गया, तब



उन्होंने कुछ करना मुनासिब न समझा; क्योंकि शहंशाह शाहजहां अपना क़ौल हार चुके हैं। हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं और अपने क़ौल के पक्के हैं। अब आप लोग बतलाइए, क्या किया जाए।" अमीरों और मनसबदारों ने कहा–"हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए। इनका तंबू छोटा करवा कर कलकत्ते भिजवा देना चाहिए।" बादशाह सलामत ने कहा–"लेकिन हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारा क़ौल टूटता है।" इसी समय तीसरा हरकारा हांफता हुआ बिना इत्तिला कराए ही दरबार में घुस आया। उसने कहा–"जहांपनाह, वह तंबू दिल्ली पहुंच गया। वह देखिए, क़िले तक आ पहुंचा।" सब लोगों ने देखा। वास्तव में हज़ारों गोरे ख़ाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस, बाजा बजाते हुए तंबू को क़िले की तरफ़ खींचते हुए आ रहे थे। उस वक़्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा–"हमने तय कर लिया। हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुछ कह दिया, वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख़्श दी थी। अब अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है, तो आवे! मुग़ल सल्तनत जाती है, तो जाए, लेकिन दुनिया यह देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपने क़ौल की पक्की रही है,"-इतना कहकर बादशाह सलामत मय अपने अमीर-उमरावों के दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का क़ब्ज़ा हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, इस कलियुग में भी मुग़लों ने अपनी सल्तनत बख़्श दी।"

हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा–"हीरोजी, एक प्याला चाय और पियो।"

हीरोजी बोल उठे–"इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय? ■■



आख़िरी पन्ना

संपादन प्रभाग

पवित्र संकल्प

इमाम अन-नवावी (1233-1278 ईस्वीं) का जन्म दमिश्क के आसपास स्थित नवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। दस वर्ष की उम्र से पहले ही उन्होंने पूरा क़ुरआन कंठस्थ कर लिया था और उन्नीस वर्ष की आयु में वह पढ़ने के लिए दमिश्क चले गए थे। वहां इमाम नवावी ने हदीस (पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. के कथनों और कार्यों का एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड) और इस्लामी न्यायशास्त्र के अध्ययन सहित विभिन्न क्षेत्रों और विषयों को विभिन्न प्रसिद्ध आचार्यों से सीखा।

ऐसा कहा जाता है कि इमाम अन-नवावी एक तपस्वी और धर्मपरायण व्यक्ति थे, वे अक्सर अध्ययन, लेखन या उपासना में अपना अधिकतर समय व्यतीत करते थे। उन्होंने लोगों को सदाचरण के लिए प्रेरित किया और उन्हें बुराई करने से रोका। हालांकि उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखीं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध निस्संदेह उनका "चालीस हदीस'' का संग्रह है।

800 से अधिक वर्षों से ज्ञान की चाह रखने वाले इस पुस्तक से लाभान्वित हो रहे हैं। इस संग्रह में प्रत्येक हदीस हमें इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से एक के बारे में सिखाती है और हदीस मुख्य रूप से सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम के संग्रह से ली गई है। यह किताब में हदीस की श्रृंखला की पहली हदीस है।

जीवन के प्रत्येक कार्य में सच्चा और ईमानदार होना एक शर्त है और यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अच्छे कामों को स्वीकार करे तो हमें इन शर्तों को पूरा करना होगा। बेईमानी के मूल कारणों मे से एक हमारी अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करना है। ये इच्छाएं हमारे इरादों और उद्देश्यों की शुद्धता को भ्रष्ट कर सकती हैं। इसलिए एक ईमान वाले के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने कृत्यों से पहले, अपनी नीयत और अपने इरादों की शुद्धता की जांच करे।

इस संग्रह की पहली हदीस वह है जो पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के प्रिय साथी उमर इब्ने अल-ख़त्ताब द्वारा सुनाई गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) को कहते हुए सुना-

"कार्यों को उनके करने की नीयत से आंका जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वह मिलेगा जो उसने नीयत की होगी।"

इस हदीस को इस्लाम में सबसे बड़ी हदीसों में से एक कहा जाता है, क्योंकि यह एक ईमान वाले को दिल के कार्यों का मूल्यांकन करने और आंकने में मदद कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि इमाम अन-नवावी ने इस हदीस से इसलिए शुरुआत की क्योंकि वह किताब पढ़ने वाले हर व्यक्ति को नीयत या इरादे के महत्व के बारे में याद दिलाना चाहते थे।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने इस हदीस को एक सिद्धांत के साथ शुरू



किया-कार्यों को उनके इरादे (नीयत) से आंका जाता है। फिर उन्होंने हमें तीन उदाहरण दिए; पहला एक अनुकरणीय कार्य है, ईश्वर के मार्ग में पलायन। दूसरा और तीसरा कार्य उन स्थितियों के उदाहरण हैं, जिनमें हमें अपनी नीयत का मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है, सामान्य रूप से सांसारिक चीज़ों के लिए प्रवास।

हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर इरादे सही हैं तो कार्य सही होगा, लेकिन अगर इरादे भ्रष्ट हैं तो कार्य भी भ्रष्ट हो जाएगा।

जीवन के प्रत्येक कार्य में सच्चा और ईमानदार होना एक शर्त है और यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अच्छे कामों को स्वीकार करे तो हमें इन शर्तों को पूरा करना होगा। बेईमानी के मूल कारणों में से एक हमारी अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करना है। इमाम अल-हरावी, जिनकी मृत्यु 846 ई. में हुई थी, ने हमें चेतावनी दी थी कि सात प्रकार की इच्छाएं हैं जो हमारे इरादों और उद्देश्यों की शुद्धता को भ्रष्ट कर सकती हैं। ये इच्छाएं है–

1. दूसरों की नज़रों में ख़ुद को अच्छा दिखाने की इच्छा।
2. दूसरों की प्रशंसा पाने की इच्छा।
3. दूसरों के द्वारा दोष लगाने से बचने की इच्छा।
4. दूसरों से गुणगान करवाने की इच्छा।
5. दूसरों से धन पाने की इच्छा।
6. दूसरों का प्यार पाने की इच्छा।
7. ईश्वर के सिवा किसी अन्य से मदद मांगने की इच्छा।

इसलिए एक ईमान वाले के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने कृत्यों से पहले, अपनी नीयत और अपने इरादों की शुद्धता की जांच करे। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि चाहे हमें पता हो या न पता हो, हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के पीछे एक नीयत होती है।

जानकारों का मानना है कि उक्त हदीस हमें सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करने का इरादा करता है, लेकिन रास्ते में किसी भी बाधा के कारण उसे पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर भी उसे उसके इरादे के लिए इनाम मिलेगा।

यह इस तथ्य के कारण है कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा–"ईश्वर अच्छे कामों और बुरे कामों को दर्ज करता है। जो कोई अच्छा काम करने की नीयत करता है, लेकिन कर नहीं पाता, तो ईश्वर उसे एक पूर्ण अच्छे काम के रूप में दर्ज करता है; लेकिन अगर वह अच्छा काम करने की नीयत करता है और उसे पूरा करता है, तो ईश्वर इसे दस अच्छे कामों, सात सौ गुना तक, या उससे अधिक के रूप में दर्ज करता है, लेकिन अगर वह एक बुरा काम करने की नीयत करता है, लेकिन बुरा काम नहीं करता है, तो अल्लाह इसे एक पूर्ण अच्छे काम के रूप में दर्ज करता है; लेकिन अगर वह बुरे काम की नीयत करता है और बुरा काम कर भी लेता है, तो ईश्वर इसे एक ही बुरे काम के रूप में दर्ज करता है।" ■■

QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters

AN ISO 9001:2008 COMPANY



FACTORY

PLOT No. S.5B 39 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALETE, GOA-403 703
TEL.: 91 832 2865610/11/12 | FAX: 832 2865609
Email: aualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

KANTI Monthly, New Delhi
FEBRUARY 2024
Posted on 20-21 January 2024
Published on 18 January 2024
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-202
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

"मुस्लिम वह है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से मुसलमान सुरक्षित रहें। और मुहाजिर (वास्तव में) वह है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने रोका है।"

(हदीस : बुख़ारी)

A Well Wisher

Ashaz Khan (Goa)